हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन, धर्मशाला -176215 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

21/12/2016/1100/MS/AG/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष: अभी शुरू भी नहीं हुआ है तो अभी क्या चर्चा होगी? आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए?

श्री महेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले कल इस सदन के बीच में भी और आपके चैम्बर में भी आपसे बड़े विस्तार से चर्चा हुई और जो पिछले कल का बिजनैस था उस पिछले कल के बिजनैस में प्रश्न काल भी सस्पैंड हुआ है तथा जो बाकी चर्चाएं थीं वे भी सस्पैंड हुई हैं। अध्यक्ष जी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि आज का जो हाऊस का बिजनैस है, उसमें नियम 130 के तहत जो चर्चा पिछले कल के लिए निर्धारित थी उस चर्चा को आपने आज के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। अगर आपने ऐसा ही करना था तो

अच्छा होता जो पिछले कल का प्रश्न काल सस्पैंड हुआ है उसको भी आज के बिजनैस में रख लेते तब तो हम मानते। दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि,

अध्यक्ष: वैसे मैं आपको बता दूं कि रूल्ज के मुताबिक जो प्रश्न काल है वह प्रश्न काल दुबारा रिपीट नहीं होता है। उसका जवाब आपको मिल जाएगा।

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, यह जो गैर सरकारी सदस्य कार्य संकल्प है यह कोई पक्ष या विपक्ष के विधायकों के हाथों से नहीं निकला है। यह आपके विधान सभा सचिवालय से निकला है और आपकी एप्रूवल से निकला है। आपने संख्या 409, वीरवार दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प जिनकी श्लाका (बैलेट)दिनांक 15-12-2016 को हुई, का परिणाम; इसमें नम्बर वन पर- "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबन्दी को कड़ाई से लागू करके प्रदेश में भ्रष्टाचार व काले धन को रोकने हेतु ठोस पग उठाए जाएं"

21/12/2016/1100/MS/AG/2

है। एक तरफ आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका यह फैसला 16 दिसम्बर, 2016 का है। 16 दिसम्बर को यह बिजनैस में शामिल हो गया है। उसके बाद आपने 20 तारीख को इसी संदर्भ में एक चर्चा लगा दी। यह जो रूल्ज एण्ड प्रोसिज़र की किताब है यह किताब इस सदन की सहमति से बनी हुई है ताकि यह सदन इस किताब में जो रूल्ज एण्ड प्रोसिज़र है उसके मुताबिक चले।

अध्यक्ष: आप किताब मत दिखाओ। आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए? आप अपनी बात कीजिए। आप कल क्या सदन में उपस्थित थे या अनुपस्थित थे?

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन हम आपसे इतना जरूर चाहते हैं..

Speaker: You are challenging and showing me the books. I know these books very well.

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष जी, इसमें बड़ा साफ लिखा है कि जो सबसे पहले बिजनैस में आएगा उसके बाद उसी सब्जैक्ट को दुबारा से रिपीट नहीं किया जा सकता है यानी पहले सब्जैक्ट को सुपरसीड नहीं किया जा सकता है।

Speaker: Have you read this subject? आपने सब्जैक्ट पढ़ा है? I object it.

श्री महेन्द्र सिंह जी जे0एस0 द्वारा-----

21.12.2016/1105/**जेके/एजी**/1

श्री महेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, ऐसा नहीं है कि आज आप इस सीट पर शोभायमान है । कल को इस सीट पर दूसरे माननीय अध्यक्ष भी शोभायमान होंगे। तो हर अध्यक्ष के साथ-साथ ये जो बिजनैस रूल्ज की किताबें हैं ये बदलती नहीं रहती हैं। ये किताबें चाहे आप होंगे या आपके बाद कोई और आएगा तथा उसके बाद भी कोई और आएगा लेकिन ये किताबें नहीं बदली जाती हैं।

अध्यक्ष: हम कोई किताबें नहीं बदल रहे हैं। हम भी उसी किताब में से बात कर रहे हैं।

.....(व्यवधान).....

श्री महेन्द्र सिंह: सर, हम आपसे यह चाहते हैं कि आज की जो चर्चा आपने नियम 130 के अन्तर्गत लगाई है, आप उस चर्चा को जैसे कल आपने माना, उस चर्चा को निरस्त करें और जो कल की नियम-101 के अन्तर्गत चर्चा लगी हुई है, उस चर्चा के अन्दर सभी पार्टिसिपेट करें। उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता । उस तरफ के लोग भी और इस तरफ के लोग भी सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है, हम आपको हाऊस चलाने के लिए सहयोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन हम आपसे शैल्टर चाहते हैं। विपक्ष के लिए आपसे बड़ा शैल्टर कौन हो सकता है?

अध्यक्ष: आप मुझसे कोई सहयोग नहीं चाहते।

श्री महेन्द्र सिंह: हम आपसे चाहते हैं कि जो नियम 130 के अन्तर्गत चर्चा लगी है आप उसको निरस्त करके कल जो नियम 101 के अन्तर्गत लगा है, प्राईवेट मैम्बर डे के अन्तर्गत जो संकल्प लगा हुआ है, उसमें इस हाऊस में बैठे हुए सभी सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज मुझे बात करने दीजिए। Please don't intervene. Please don't interfere. मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल भी यह चर्चा हुई। माननीय धूमल साहब ने कल यह प्रश्न उठाया था कि इसमें एक चर्चा है लेकिन मैंने इनको यह कहा था कि यह सब्जैक्ट एक नहीं है, ये दो सब्जैक्ट हैं। आपका भ्रष्टाचार का सब्जैक्ट

है और उनका असुविधा का सब्जैक्ट है। अगर आप यह चाहते हैं, आपको लगता है कि कि ये दोनों मैटर्ज एक जैसे हैं तो आप जो आज 130 की चर्चा है उसमें क्यों नहीं बोल लेते? You speak on this. आप चर्चा में भाग लीजिए। 130 में आप भाग ले सकते हैं and you can say anything whatever you like. जो आपका रेजोल्युशन है उस पर आज आप 130 में बोल दीजिए। इसमें क्या दिक्कत की बात है? You should not raise any objection because ये जो दोनों सब्जैक्ट्स हैं ये डिफरैंट है, इसलिए ये दोनों लगे हैं। जो आप मुझे किताब बता रहे हैं, किताब में यह है कि यदि सेम सब्जैक्ट दो बार लग जाए तो एक डिलीट हो जाता है, वह तो ठीक है लेकिन ये सब्जैक्ट्स ही दो हैं इसलिए आप मेरी बात समझें। आज आप चर्चा में क्यों भाग नहीं ले रहे हैं? आप 130 की चर्चा में भाग लीजिए। You will bring home your point. यह गलत बात है। मैं रूल्ज़ पढ़ कर आता हूं। मैं बिना पढ़े नहीं आता हूं। जो आप मुझे रूल्ज़ सिखाना चाहते हैं वे रूल्ज मैंने आपसे कई साल पहले सीखें हैं। .....(व्यवधान)..... भारद्वाज जी आप प्रश्नकाल आरम्भ करने दीजिए। ठीक है, आप बोलिए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं?

21.12.2016/1105/**जेके/एजी**/3

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, दो प्रश्न है। एक प्रश्न तो जो कल उठाया गया था कि नियम-101 के अन्तर्गत इसी विषय पर संकल्प माननीय महेन्द्र सिंह जी का विधान सभा सचिवालय ने बैलट डाल करके उसको अधिसूचित कर दिया है, बुलेटिन-2 में उसको सर्कुलेट कर दिया गया है। नम्बर-2 कल की जो लिस्ट ऑफ बिजनैस थी उसमें नियम-130 के अन्तर्गत उसी विषय को शब्दों में फेर-बदल करके उसको कल की बिजनैस में उसी विषय को डाल दिया। कल हाऊस एडजर्न हो गया। आज आपने सलैक्टिवली जो सचिवालय से लिस्ट ऑफ बिजनैस आई है अगर कल की बिजनैस आज के लिए ट्रांसफर होनी है तो फिर प्रश्नकाल से बाकी सारी लिस्ट ऑफ बिजनैस आज के लिए ट्रांसफर होती। प्रश्नकाल नहीं हुआ और फिर सलैक्टिवली 130 की चर्चा लगा दी और एक नियम-62 का लगा दिया। हमारा निवेदन यह है कि कल बिजनैस में जो चीजें आई थी वे कल खत्म हो गई। आज वह लग नहीं सकती। लिस्ट ऑफ बिजनैस में आज के लिए वह चर्चा नहीं आ सकती है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

21.12.2016/1110/SS/AS/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागत:

तो क्या नियम के अनुसार सदन चलेगा या केवल मात्र मिजोरिटी पार्टी के प्रैशर के अंदर सदन चलेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलाकर चलता है। लेकिन आप अगर विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहेंगे तो फिर सदन कैसे चलेगा? जब कल का बिजनेस खत्म हो गया तो फिर वह आज नहीं लगना चाहिए था। अगर आप लोग सदन चलाना चाहते हैं, वैसे मुझे तो लगता है कि पक्ष सदन चलाना ही नहीं चाहता है क्योंकि इनको अपनी रैली से संबंधित काम करने हैं। इसलिए हमारा सीधा कहना है कि

पिछले कल का बिजनेस आज न लगे और सिर्फ आज का ही बिजनेस आज लगे। -- (व्यवधान)-- अगर आप सदन चलाना चाहते हैं तो हमारा सीधा-सीधा कहना है कि आज के लिए जो बिजनेस लिस्ट है सिर्फ उसी को लगाया जाए और जो पिछले कल बिजनेस था वह आज नहीं लगेगा। रूल्ज़ के मुताबिक ही काम होगा अन्यथा काम नहीं होगा।

अध्यक्ष: मैंने बिजनेस नियमों के मुताबिक ही लगाया है।

संसदीय कार्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सरकार सदन चलाना चाहती है। जो ये चर्चा चाहते हैं हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, 27 विधायक चुन कर आए हैं। विपक्ष सशक्त है। इसकी बात को अनसुना करके विपक्ष कैसे चलेगा? केवल मात्र 5-6 विधायक ज्यादा हो गए और इनकी सरकार बन गई तो इसका मतलब यह नहीं है कि सदन विपक्ष को सुने बिना ही चलेगा। सदन दोनों पक्षों के कारण चलता है। अगर सिर्फ एक पक्ष की ही सुनी जायेगी तो सदन नहीं चलेगा।

अध्यक्ष: मैं आपको बताना चाहता हूं कि पक्ष के लोग तो अभी बोले नहीं है और आप ही बोले जा रहे हैं और मैं आपकी ही बात सुन रहा हूं। आप लोग कई दिनों से बोल रहे हैं। कल भी आप बोले और आज भी बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम आपको सुनते नहीं हैं। आपकी ही तो बात सुन रहे हैं और कौन बोल रहा है। आपको

यह लांछन नहीं लगाना चाहिए कि आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आपको पूरा टाइम देते हैं, आपकी बात सुनते हैं और आप उसी का फायदा उठाना चाहते हैं।

श्री रिखी राम कौंडल: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सदन नियमों से चलेगा या बिना नियमों के चलेगा?

अध्यक्ष: यह मैंने रूल्ज़ के मुताबिक किया हुआ है और सभी कुछ रूल्ज़ के मुताबिक है। --(व्यवधान)--ठाकुर साहब, आप कुछ कहेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेवारी होती है और इन्होंने कहा है कि कल के क्वैश्चन आवर भी आप आज के लिए ट्रांसफर कर देते हैं। आपको (विपक्ष को इंगित करते हुए) याद होगा कि क्वैश्चन आवर 11:00 बजे से 12:00 बजे तक होता है और कल 12:00 बजे तक आप लोगों की तरफ से हंगामा होता रहा, इसलिए क्वैश्चन आवर उसमें खत्म हो गया। उसके बाद भी जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है उस रूलिंग के खिलाफ आप डायस पर चढ़ करके नारे लगाने लगे जो मेरे ख्याल में आज तक हिमाचल विधान सभा में कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के लोग ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे। नियम-130 के प्रस्ताव में आप सभी हिस्सा ले सकते हैं। प्रस्ताव आपकी तरफ से भी आ सकता है और हमारी तरफ से भी प्रस्ताव आया है। आज हमारे सदस्यों की तरफ से जो नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव आया है उसमें आप भी हिस्सा लो। --(व्यवधान)-- यह स्पीकर की डिस्क्रिशन है और यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। लोगों को परेशानी हो रही है। वे लाइनों में खड़े हैं। लाइनों में लोग मर रहे हैं। उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय निवेदन है कि आप कार्यवाही शुरू करके क्वैश्चन आवर आरम्भ करें। --(व्यवधान)--

अध्यक्ष: बिंदल साहब, आप बैठिये। काफी हो गया, मैंने डिसीजन ले लिया है कि आप नियम-130 में बोलिये। You participate in that. आप जो बोलना चाहते हैं वह

21.12.2016/1110/SS/AS/3

नियम-130 में बोलिये। इसमें क्या हर्ज़ है? जो डिस्कशन लग रही है आप उसमें बोलिये। ये भी बोलेंगे और आप भी बोलिये। आपको पूरा टाइम देंगे। प्रश्न काल आरम्भ। श्री महेन्द्र सिंह, प्रश्न काल। क्या माननीय धूमल जी बोलना चाहेंगे?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, जो बात बड़ी सरलता से हल हो सकती थी, उसकी मिसहैंडलिंग हुई है। मैं कहना नहीं चाहता कि वह किसके कारण हुई है। आप कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष वाले तो बोलते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष: मेरा कहने का मतलब है कि आपको पूरा टाइम दे रहे हैं। फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि आपको बोलने का टाइम नहीं मिल रहा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: कौल सिंह जी की तरफ भी फिर आप ध्यान कर लीजिये।

जारी श्रीमती के0एस0

21.12.2016/1115/**केएस/एएस**/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल .. जारी...

अध्यक्ष महोदय, जब आप ही इनकी तरफ से बोल देंगें, हमारा प्रश्न, हमारा सबमिशन पूरा नहीं होता, उससे पहले ही आप बीच में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। मंत्री जी का उत्तर पूरा नहीं होता, उससे पहले आप बीच में बोल पड़ते हैं। आप सदन के दोनों पक्षों के विश्वास के पात्र हैं और आपसे यही अपेक्षा है कि आप निष्पक्ष अपनी रूलिंग दे। हो सकता है, कई बार आप बिल्कुल ठीक रूलिंग देते हों और हमें लगता हो कि ठीक नहीं हुआ। लोकतंत्र में राय अपनी-अपनी हो सकती है। मैं वरिष्ठ मंत्री ठाकुर कौल सिंह जी का आर्गुमैंट सुन रहा था कि कल का क्वैश्चन का इसलिए एजैंडा आगे नहीं हो सकता, हम भी जानते हैं जो कल था वह आज नहीं हो सकता और उसी बात को हम कह रहे हैं। कल 12.00 बजे तक शोर रहा और उसके बाद प्रश्नकाल खत्म हो गया। तो कल तो हाऊस पूरे दिन के लिए एडजर्न हो गया। अगर प्रश्नकाल खत्म हो गया तो बाकी डिस्कशन भी खत्म हो गई। यह कैसे हो गया कि जिस प्रश्नकाल, आपका ही आर्गुमैंट है कि जब हाऊस एडजर्न हुआ उस टाईम पर तो प्रश्नकाल खत्म हुआ तो प्रश्न खत्म हो गए। तो हाऊस तो पूरे दिन के लिए एडजर्न हुआ। तो बाकी एजैंडा कैसे बच गया और किस नियम के तहत?

आप कई बार रूल्ज़ अलाऊ नहीं करते या रूल्ज़ में प्रोविज़न नहीं होता। कोई प्रैसिडैंट होता है । प्रैसिडैंट में आप बताएं जिसमें पिछले दिन का एजैंडा अगले दिन चला हो। हम तो खुद चर्चा चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक महेन्द्र सिंह जी ने यह नोटिस जब आपने बैलट किया, उससे पहले का दिया हुआ है। जब उसमें वह आ गया तो आप कहते हैं कि अन्तर है। तो नोटबंदी पर, नोटों की तंगी पर इनका होगा। हमने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ऐसा किया गया । तो दोनों बातें उसमें आ सकती थी। और प्राईवेट मैम्बर के राईट को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष: तभी तो कह रहा हूं कि आज उसके ऊपर ही चर्चा कर लीजिए ।

21.12.2016/1115/**केएस/एएस**/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, आपको यहां पर इसलिए बिठाया गया था कि जो हाऊस में नियम बनाए हैं उनकी आप रक्षा करें। उनको तोड़ने के लिए आपको नहीं बिठाया है।

Speaker: I can change the rule also.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: क्या?

अध्यक्ष: मैं रूल्ज़ को मॉडिफाई भी कर सकता हूं।

Prof. Prem Kumar Dhumal: You cannot.

Speaker: I can do it. ....(व्यवधान).... मैं रूल्ज़ को वेवऑफ कर सकता हूं, रूल्ज़ को मॉडिफाई करवा सकता हूं। ....(व्यवधान)....

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सैंस ऑफ ह्यूमर जानता हूं। आप कल को यह मत कह देना कि भारत के संविधान को भी बदल सकता हूं।

अध्यक्ष: यह मौका आएगा तो वह भी कर लेंगें।

श्री महेन्द्र सिंह: It is on record. आपने ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि वक्त आएगा तो मैं भारत के संविधान को भी बदलूंगा । यह आप कैसे कह सकते हैं। .....(व्यवधान)....

अध्यक्ष: वक्त आएगा तो देखेंगें। अमैंडमैंट्स तो होती हैं। अमैंडमैंट्स तो सभी करते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह: आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास कौन सी पावर है? आप इस कुर्सी पर बैठकर नहीं कर सकते। .....(व्यवधान)....

अध्यक्ष: पार्लियामैंट में अमैंडमैंट होती है। पार्लियामैंट आज भी अमैंटमैंट कर रही है। क्यों नहीं कर सकते? जब हम पार्लियामैंट में होंगें तो पार्लियामैंट में कर सकते हैं। .....(व्यवधान).... What is there? What is bad in this?

21.12.2016/1115/**केएस/एएस**/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: अध्यक्ष महोदय, हम आपका सम्मान करते हैं।

अध्यक्ष: हम भी आपका उतना ही सम्मान करते हैं। आपको गलत फ़हमी क्यों होती है?

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: आप बात नहीं सुनते, प्रॉब्लम यही है। आपको मैं इस समस्या से निकाल रहा हूं। मैने कोशिश की थी आपकी बात टालने की कि शायद आपने सैंस ऑफ ह्यूमर में ऐसा कह दिया होगा, आप मज़ाक बड़ा अच्छा करते हैं। आप उससे भी आगे बढ़ गए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

21.12.2016/1120/av/ag/1

श्री प्रेम कुमार धूमल--------- जारी

और आप संविधान को बदलने के लिए तैयार हो गये। सबसे बड़ी बात, आपने संविधान को तोड़ने-मरोड़ने की बात की तो सत्तापक्ष की तरफ से टेबल थपथपाये गये जिससे ऐमरजैंसी की याद आ गई। (---व्यवधान--) मेरा आपसे निवेदन है और हम भी चाहते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो। उनमें हम पार्टिसिपेट करें तथा सत्तापक्ष वाले भी पार्टिसिपेट करे। हम कह रहे हैं कि एक नियम है कि जो प्राइवेट मैम्बर डे बैलेट में आ गया उस दिन उस मुद्दे को डिसकस किया जाए।

अध्यक्ष : मैंने उसके लिए मना थोड़े ही न किया है, उसको भी कर लेंगे।

श्री प्रेम कुमार धूमल : आप के साथ कुछ ऐलिमैंट्स ऐसे तो नहीं मिले हुए हैं जो हाउस को चलने ही नहीं देना चाहते?

अध्यक्ष : ऐसा बिल्कुल नहीं है।

श्री प्रेम कुमार धूमल : हम हाउस को चलाने के लिए सजैशन्ज दे रहे हैं और आपका व्यवहार हाउस में डिस्टर्प्शन पैदा करने का काम कर रहा है।

अध्यक्ष : अगर दो रैजोल्युशन लग जाए तो क्या हाउस नहीं चलेगा?

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन इस हाउस में नियम टूटने शुरू हो जायेंगे और जब पीठ से ही टूटेंगे तो फिर कोई हाउस नहीं चल सकता। ब्रम्हाण्ड में भी अगर चांद-सितारे अपना-अपना रास्ता छोड़ देंगे तो टकराकर तबाह हो जायेंगे। इसीलिए नियम बनाये जाते हैं और इसीलिए डिसिप्लिन होता है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है तथा जो यहां पर नोटबंदी के कारण दिक्कत की बात कर रहे थे तो कल चण्डीगढ़ में

जलवा हो गया है। आपके 26 में से 4 आए हैं और हमारे 22 में से 20 आए हैं। (---व्यवधान---) अभी बाकी बहुत है, चण्डीगढ़

21.12.2016/1120/av/ag/2

सैंटर प्लेस है। (---व्यवधान---) चिन्ता तो आप करो, हमें किस लिए करनी है, हम तो खुशियां मना रहे हैं। हम तो लड्डू बांट रहे हैं, आप लोग भी खाने के लिए आ जाना, कोई बात नहीं। Speaker, Sir, in the interest of running of the House मैं आपसे फिर रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि कल का बिजनैस आज में मत डालिए और प्रश्नकाल या चर्चा; जो भी करना है उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से हमारी बात को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर हम प्रोटैस्ट करेंगे।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं; ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। मेरी ऐसी कोई मन्शा नहीं है कि आपको तंग किया जाए या आपकी कोई चर्चा न लगाई जाए। मेरा एक सजैशन है, ऐसा करते हैं कि प्रश्नकाल के बाद एकदम (---व्यवधान---) सुनिए, ऐसा करते हैं कि प्रश्नकाल के बाद संसदीय कार्य मंत्री और आपमें से कुछ लोग मेरे साथ बैठिए। इस बारे में प्रश्नकाल के बाद फैसला कर लेंगे। (---व्यवधान---)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, रूल की कोई अवेहलना नहीं हुई है। There is nothing wrong in it.

अध्यक्ष : प्रश्नकाल के बाद (---व्यवधान---) अभी क्या है? धूमल साहब, आप बताइए। मैं सुझाव दे रहा हूं और आपके विपक्ष के लोग मेरे सुझाव को नहीं मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप मेरे पास 12.00 बजे आइए, फिर इसके बारे में दो मिनट में कोई फैसला कर लेंगे। What is there? (---व्यवधान---)

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि रूलिंग पार्टी में कुछ ऐलिमैंट ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि हाउस के अंदर शोर-शराबा होता रहे तथा हाउस न चले। आपने एक वे-आउट सजैस्ट किया था, उसको भी स्कटल कर दिया गया।

श्री वर्मा द्वारा जारी

21.12.2016/1125/TCV/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल: -----**जारी**

हमारे पास प्रोटैस्ट के सिवाय कोई चारा नहीं होगा। आप हाऊस को एडजोर्न करें और हमें तथा पार्लियामैंटरी अफ़ेयर मिनिस्टर को एक साथ बैठाकर के बात कर लें। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे, तो हाऊस नहीं चलेगा। आप यदि हाऊस को एडजोर्न कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो फिर ----(व्यवधान)-- -।

अध्यक्ष: मैं आप दोनों के साथ बैठकर यह देखना चाहता हूं कि आप दोनों के रेज्योल्यूशन यहां सदन में लगाये गए हैं, उनके बारे में आप कैसे कम्प्रोमाईज़ कर सकते हैं और उन पर कैसे बोल सकते हैं? बाकी मैंने तो रूल्ज़ के मुताबिक हाऊस चलाना है। हाऊस को चलाना न चलाना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं सजैशन दे रहा हूं कि प्रश्न काल के बाद तुरन्त आप और पॉर्लियामैंटरी अफ़ेयर मिनिस्टर मेरे पास आइये और मुझे बता दीजिए कि इन दोनों रेज्योल्यूशन का क्या करना है। प्रश्नकाल के तुरन्त बाद we will meet for two minutes. मेरे चैंबर में आ जाइये और वहां पर मैं आपसे मिलूंगा।

Shri Suresh Bhardwaj: Sir, adjourn the House for ten minutes.

श्री महेन्द्र सिंह: आपने क्या जजमैंट दी है?

अध्यक्ष: मैंने बोल तो दिया है कि 12.00 बजे दो मिनट में आपका फैसला कर देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः आप अभी 10 मिनट के लिए हाऊस को एडजोर्न कर दीजिए।

अध्यक्ष: मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं । Question Hour is also your hour. आपके क्वैश्चन्ज़ है, तो फिर आप क्यों नहीं इनसिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सारे रेज्योल्यूशन प्रश्नकाल के बाद ही लगने हैं। Why do you mar the Question Hour? प्रश्नकाल हो जाएगा और इसमें मैंने कोई प्रनोट थोड़े ही लिखना है। इसलिए मैं कहा है कि प्रश्नकाल के बाद ठीक 12.00 बज़े उनका फैसला करेंगे। प्रश्नकाल में क्वैश्चन आपके ही हैं। आप सरकार से उनका उत्तर सुन लें।

21.12.2016/1125/TCV/AG/2

श्री महेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं और आधे घण्टे से निवेदन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आपके साथ बड़ी लम्बी चर्चा की और हमने भी अपना पक्ष रखा। हम आपसे एक ही निवेदन करना चाह हैं कि पिछले कल का विषय आज रिपीट न किया जाये। उसको आज की कार्यवाही से डिलीट कर दिया जाये। हम हाऊस चलाने के पक्षधर हैं और हाऊस चलेगा। हम हाऊस चलाना चाहते हैं लेकिन हम इस तरीके से हाऊस नहीं चलाना चाहते हैं कि पिछले कल का बिजनैस आज रिपीट किया जाये। ऐसा करने से तो एक अलग ही प्रोसिज़र इस विधान सभा में शुरू हो जाएगा। सर, हमारे प्रश्न हैं और हम कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए आप हाऊस एडजोर्न करें। हमारे चीफ विहिप और पॉर्लियामैंटरी अफ़ेयर मिनिस्टर जाएंगे और आप बैठकर तय करो तथा तय करने के उपरान्त फिर हाऊस चले। हम तो हाऊस चलाने के पक्षधर हैं। हमारी चर्चाएं और हमारे प्रश्न लगे हैं। इसलिए हम तो हाऊस चलाना चाहते हैं लेकिन हमारा आपसे निवेदन है और यदि आप हमारा निवेदन नहीं सुनेंगे तो कौन हमारा निवेदन सुनेगा। इसलिए आप 10 मिनट के लिए हाऊस को एडजोर्न कर दें।

अध्यक्षः मैं सदन को 12.00 बजे एडजोर्न करूंगा। (व्यवधान) अभी क्या खास है? मैं 12.00 बज़े फैसला करूंगा और उसके बाद ही रेज्योलेशन पर चर्चा होगी। ये रेज्योलेशन इससे पहले तो लगने ही नहीं है। --(व्यवधान)-- अभी और 12.00 बजे में क्या डिफरेंस हैं ये आप मुझे बताईये? What is the difference? Why do you insist now? आप अभी क्यों इनसिस्ट कर रहे हैं? - (व्यवधान)- मैंने आपको फैसला दे दिया है कि हाऊस को 12.00 बजे एडजोर्न करेंगे तो फिर आप क्यों इनस्सिट कर रहे हैं?

श्रीमती एन0एस0----- द्वारा जारी।

21/12/2016/1130/**NS**/**AS**/1

अध्यक्ष -------जारी।

प्रश्न काल तो कर लें। प्रश्न आपके ही हैं, मेरे नहीं हैं। 12.00 बजे दोपहर फैसला कर लेंगे। मैं कह रहा हूं आप मेरे पास दोपहर 12.00 बजे आएं तब हम फैसला कर लेंगे। (व्यवधान) आप बैठ जाईए। मैंने कल भी आपको छोड़ दिया था। कल भी आपने यहां पर आ करके बदतमीज़ी की। यह गलत बात है, मैंने कल आपको कुछ नहीं कहा था। आप बीच में न बोला करें। (व्यवधान) बैठ जाईए प्लीज़। आप क्या रूल देख रहे हैं? मैंने आपको कहा कि 12 बजे दोपहर एडजोर्न करूंगा और हम आपस में बैठ करके फैसला कर लेंगे। (व्यवधान) नहीं-नहीं मैं अभी यह नहीं सुनना चाहता हूं। I will not. I will go ahead with the Question Hour, now. यह गलत बात है। आप इतने सीनियर मैम्बर्ज़ हैं, आपको यह पता होना चाहिए। (व्यवधान) जो मैं कह रहा हूं आप उसको तो मान लीजिए । श्री रविन्द्र सिंह जी, आप प्लीज़ बैठिए। मैं 12.00 बजे दोपहर एडजोर्न करूंगा यह फैसला हो गया है। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Just a minute. (व्यवधान)

उद्योग मंत्री (**संसदीय कार्य मंत्री**) : अध्यक्ष महोदय, दो मामले बड़े important हैं। उनमें से एक मामला यह है कि प्रश्न काल असैम्बली में किसी भी हालत में होना चाहिए, चाहे वह कोई भी असैम्बली हो। दूसरा, स्पीकर के आसन के पास कोई भी सदस्य न जाए। यह दोनों मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें स्पीकर/आसन का सम्मान करना चाहिए जोकि सबसे important है। (व्यवधान) स्पीकर के आसन के पास कौन जाता है? अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का अफ़सोस है कि छः बार विधायक रहे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष के आसन के पास जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष: Should we go ahead with the Question Hour? प्रश्न काल शुरू करें। (व्यवधान) आप क्या कहना चाहते हैं?

21/12/2016/1130/NS/AS/2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय श्री महेन्द्र सिंह जी ने जो विषय सदन के प्रारम्भ में यहां पर रखा है, वह विषय गम्भीर चिन्तन का है। पिछले कल का बिजनैस किस नियम के तहत आपने आज के लिए लगा दिया है? सारे-का-सारा बिजनैस आपने किस नियम के तहत लगाया है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय आप मेरी बात सुन लें। मेरा एक प्रश्न यह है कि किन नियमों के तहत आपने पिछले कल का बिजनैस ओवरकैरी किया है? दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जो हमने विषय उठाया है, वह बड़ा स्पेसिफिक है। जो भी रूल्ज़ हैं वह इस मान्य सदन द्वारा बनाए गए हैं। आपके रूल्ज़ एंड प्रोसीज़र की जो कॉपी है इसके ऊपर लिखा हुआ है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको पढ़ लें। इसमें यह बड़े साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इस मान्य सदन के बनाए हुए ये सारे रूल्ज़ हैं। यह पेज़ 41 चैप्टर 14 के तहत इसमें नियम-119 है उसमें सब-सैक्शन 6 व 7 जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा है It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session. अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़ा क्लीयर लिखा हुआ है जबकि आपका यह बैलेट 15-12-2016 को आपके ही इस माननीय

सचिवालय ने निकाला है और सभी माननीय सदस्यों को सूचना दे दी है। (व्यवधान) एक मिनट मेरी बात पूरी होने दें। (व्यवधान)-----

संसदीय कार्य मंत्री श्री आर.के.एस. द्वारा जारी।

21.12.2016/1135/RKS/AS-1

संसदीय कार्य मंत्री: आदरणीय रवि जी वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें नियम की किताब में यह भी पढ़ना चाहिए कि जो अध्यक्ष का फैसला होगा, वही अन्तिम होगा।

श्री रविन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपका और इस चेयर का बड़ा आदर सत्कार और सम्मान करते हैं। आपके द्वारा यह कहा जाए कि जरुरत पड़ने पर मैं रुल्ज़ तथा संविधान बदल सकता हूं, इस बात का मुझे खेद है। जब स्पीकर साहब ने ही सब कुछ करना है तो इन किताबों को फाड़कर बाहर टोकरी में फैंक दो।

अध्यक्ष: हां, मैं रुल्ज़ बदल सकता हूं।

श्री रविन्द्र सिंह: आप वही कह रहे हैं जिस विचारधारा के आप हैं और जिस विचार धारा ने इस देश में एमरजैंसी लगाई। मुझे याद है 23 जनवरी, 2016 को माननीय मुख्य मंत्री जी का मझीण में कार्यक्रम था और वहां पर जो उन्होंने कहा था उसकी खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी हुई है। इस खबर में यह छपा है कि राजाओं का जमाना बहुत अच्छा था और यह डैमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। जब मुख्य मंत्री ही ऐसी बात कर सकते हैं तो स्वाभाविक है आप भी ऐसी बात कर सकते हैं। यह जो विचारधारा आपकी चली हुई है अगर ऐसा कानून अंग्रेजों का हुआ होता तो जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए हैं, वे इस माननीय सदन के सदस्य नहीं होते और यहां पर हम यह चर्चा नहीं कर पाते। यह बात आपके ज़हन में कैसे बैठ गई, इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। यह जो आपने संविधान बदलने की बात कही इन शब्दों को आप एक्पंज करें क्योंकि आप यह इंडिविजवल नहीं कर सकते हैं। House is supreme.

अध्यक्ष: माननीय सदस्य मुझे नहीं सिखाइए। मैं आपको बताता हूं। I will tell you now. आप बैठ जाइए। मैं आपको बताता हूं...(व्यवधान)... आप बैठिए। मैंने ठीक कहा था प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी और श्री सुरेश भारद्वाज जी दोनों ही एम.पी. रहे हैं और हम लोग संविधान में अमेंडमैंट कर सकते हैं। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, आप यहां पर पढ़ कर आया करें। I will go ahead with the Question Hour.

21.12.2016/1135/RKS/AS-2

प्रश्न संख्या:3351

श्री महेन्द्र सिंह: (Not interested)

प्रश्न संख्या:3385 **एवं** 3408

Speaker: Dr. Rajeev Bindal आप **अपना** प्रश्न **पूछिये।**....(Interruption).. Not allowed. Not to be recorded. ... (Interruption).. I think, you are not interested, ... (Interruption).. **मैंने किया है, मैं आपको रुल बताउंगा।**

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के पीठासीन के सामने नारेबाजी करने लगे।)

प्रश्न संख्या:3568

श्री विजय अग्निहोत्री: (Not interested)

प्रश्न संख्या:3569

श्री विरेन्द्र कंवर: (Not interested)

प्रश्न संख्या:3570

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री: सूचना एकत्रित की जा रही है।

अगला प्रश्न श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

21.12.2016/1140/SLS-AG-1

अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 3571, श्री सुरेश भारद्वाज (उपस्थित नहीं)।

21.12.2016/1140/SLS-AG-2

प्रश्न संख्या 3572

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसमें उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि 17.12.2016 तक एफ.सी.ए. में पैंडिंग परियोजनाओं की कुल संख्या 1259 है और ऊना जिले कि 651 परियोजनाएं एफ.सी.ए. के कारण लंबित पड़ी हैं। यूजर एजैंसी के पास 1066 परियोजनाएं लंबित दर्शाई गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जो परियोजनाएं कई सालों से लंबित पड़ी हैं; कई सड़कें बनने से रुकी हैं या सिंचाई स्कीमें रुकी पड़ी हैं, वह कब तक क्लीयर हो जाएंगी? एफ.सी.ए. क्लीयरैंस के कारण ही वहां कई सड़कें और डैम रुके पड़े हैं और इस कारण से क्षेत्र में विकास रुका हुआ है। मेरे क्षेत्र में टकोली खड्ड पर एक डैम बन रहा है जिस पर सरकार का लगभग 10-12 करोड़ रुपया ख़र्च हो चुका है। उसका 10 करोड़ रुपये का बजट सैंक्शन था और वह डैम बन चुका है लेकिन एफ.सी.ए. के कारण उसका संचालन रुका हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्लीयरैंस कब होगी? एक ग्वारनारी सड़क है जिसे पूरा करने के लिए लगभग 4 सालों से मैं भी पीछे पड़ा हुआ हूं। वहां पर कोई दरख्त भी नहीं है। दरख्त न होने पर भी वह सड़क एफ.सी.ए. क्लीयरैंस न होने के कारण कच्ची ही है। ऐसे मामलों में आप क्या निर्णय ले रहे हैं और उनको कब क्लीयरैंस देंगे?

वन मंत्री : जहां तक आपके पर्सनल एफ.सी.ए. केस की समस्या है, मैं बताना चाहूंगा कि सर्कल स्तर पर हर महीने की 5 तारीख को कंजर्वेटर की अध्यक्षता में सभी यूजर एजैंसीज की मीटिंग होती है। मैं चाहूंगा कि मेरे सभी कुलीग्ज अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उनको बताएं। संबंधित डिपार्टमैंट की लैप्स के कारण ही यह पैंडैंसी है। अगर वह ठीक प्रकार से केस भेजते तो फिर वन विभाग की ओर से पूरी कोशिश होती। आपने कहा कि उस ज़मीन पर कोई दरख्त नहीं है। तब भी क्लीयरैंस लेनी ही पड़ती है। 13 तरह के मामलों को छोड़कर क्लीयरैंस लेनी ही पड़ती है। जब तक यूजर एजैंसी से आप संपर्क नहीं करोगे और

21.12.2016/1140/SLS-AG-3

एन.पी.ए. का पैसा जमा नहीं करोगे, तब तक क्लीयरैंस लेनी ही पड़ती है।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

21/12/2016/1145/RG/AG/1

(**विपक्ष के सदस्य अध्यक्ष महोदय के आसन के समीप आकर नारेबाजी करते रहे।**)

प्रश्न सं. 3572---**क्रमागत**

वन मंत्री----क्रमागत

जब तक आप अपनी यूजर एजेन्सी को सतर्क नहीं करएंगे और जो एन.टी.पी.ए. का पैसा होता है, उसको जमा नहीं कराएंगे तब तक क्लीयरेन्स नहीं होती।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तो ठीक है, लेकिन मैं यहां पूछना चाहता हूं कि 1259 परियोजनाएं पूरे हिमाचल प्रदेश में पैण्डिंग हैं उसमें से 651 ही ऊना जिले में पैण्डिग हैं, तो क्या इस जिले की तरफ आप कोई खास ध्यान देंगे? क्योंकि वहां यूजर एजेन्सी ने अपनी सारी परियोजनाएं आपके विभाग को दे रखी हैं और वे कम्प्युटर में भी डाल दी हैं, लेकिन छोटे-छोटे काम पिछले 3-4 सालों से एफ.सी.ए. की क्लीयरेन्स के कारण रुके हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां 15-20 करोड़ रुपये लग चुके हैं, जैसे टकोली खण्ड का है, पैसा लग चुका है, प्लान बन चुके हैं और वहां पर फॉरेस्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी एफ.सी.ए. की क्लीयरेन्स के कारण सारा पैसा रिलीज नहीं हो रहा है और लगा हुआ धन यूज नहीं हो रहा है। तो आप इसको जल्दी-से-जल्दी करने की कृपा करें। क्योंकि आधी से ज्यादा स्कीम्ज ऊना जिले की हैं। इसलिए आप ऊना जिले की स्कीम्ज की ओर ध्यान देते हुए इनको जल्दी-से-जल्दी ऐक्पेडाईट करके एफ.सी.ए. की क्लीयरेन्स दिलवाएंगे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरे भाई श्री कुलदीप कुमार मेरे पुराने साथी हैं और इस सदन में ये बार-बार चुनकर आए हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। अब समस्या यह है कि जहां दरख्त न भी हों तब भी एफ.सी.ए. क्लीयरेन्स हमें लेनी पड़ती है। लेकिन अब स्टेट लेवल पर हमारे ऐडीशनल सी.सी.एफ. हर महीने सारी यूजर्ज एजेन्सी को रिव्यु करते हैं और जो हमारे जिला लेवल पर जो कन्जरवेटर्ज हैं, हर महीने की 5 तारीख को वे बैठक करते हैं उनको ऐसे आदेश हैं कि हफ्ते के अन्दर सारे केसिज डिजपोज ऑफ होने चाहिए। अगर टैक्नीकली वहां से ऑब्जैक्शन लगता है, तो यूजर एजेन्सी को उसका जवाब देना पड़ता है। जब यूजर एजेन्सी से केस जाता है, तो यूजर एजेन्सी को उसकी हार्ड कॉपी बनानी पड़ती है। जब तक उसकी कम्पलीशन नहीं होगी, तो वन विभाग की तरफ से कोई डिले नहीं है,

21/12/2016/1145/RG/AG/2

Lapse is from the user agency. So you have to pursue the user agency then your cases will be cleared.

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यूजर एजेन्सी की हार्ड कॉपी आ जाए, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो-जो केस यूजर एजेन्सी ने आपके विभाग को दे दिए हैं और इसके अतिरिक्त आधे से ज्यादा केस पैण्डिंग केस ऊना जिले से ही संबंधित हैं। तो क्या उनको आप ऐक्सपेडाईट करने की मेहरबानी करेंगे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे अपील करता हूं कि यदि इनके कोई ऐसे पर्टिकुलर केसिज हैं जो पैण्डिंग हैं, उनकी लिस्ट मुझे दे देंगे, तो हफ्ते के अन्दर-अन्दर यदि वन विभाग की तरफ से कोई लैप्स होगा, तो वे केस हफ्ते के अन्दर डिसाइड कर दिए जाएंगे।

If lapse is from the department, then he will have to pursue the matter.

प्रश्न समाप्त

-/3

21/12/2016/1145/RG/AG/3

प्रश्न सं. 3573

अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह नॉट इन्ट्रस्टेड।

21/12/2016/1145/RG/AG/4

प्रश्न सं. 3574

श्री यादविन्द्र गोमा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, पिछले सत्र में भी मैंने यह प्रश्न पूछा था, तो आपका यह उत्तर मिला था कि दिसम्बर के महीने में इस सब-स्टेशन का काम पूरा लिया जाएगा, लेकिन आज विभागीय उत्तर में यह लिखा गया है कि अप्रैल , 2017

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

21/12/2016/1150/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3574 **क्रमागत--श्री यादविन्द्र गोमा जारी**--------

तक इसका काम पूरा हो जाएगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसके क्या कारण हैं? क्या ऐसा विभागीय कमी के कारण हो रहा है या ठेकेदार की लापरवाही के कारण हो रहा है? आपका ही इस सदन में दिया गया यह वचन था कि दिसम्बर तक यह काम पूरा हो जाएगा लेकिन यह काम जो आगे चार माह और डिले हुआ है इसके पीछे क्या कारण हैं?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, जो सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग डिपोजिट कार्य करवा रहा है उन्होंने हमें 5 करोड़ 25 लाख रुपये देने थे जो अभी देने को बाकी हैं। इसलिए यह कार्य थोड़ा लेट हुआ है। हम उनसे यह पैसा जल्दी लेकर इस काम को अप्रैल माह तक कर देंगे।

श्री यादविन्द्र गोमा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस तरह इन्होंने कहा कि सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग से इन्होंने पैसा लेना है और यहां पर इसके लिए इनकी पैंडेंसी सिंचाई एव जन-स्वास्थ्य विभाग के पास पडी है, क्या विभाग ने उस रकम को लेने के लिए कोई पत्राचार किया है? अगर हां, तो उनकी तरफ से क्या जवाब आया और अभी जो आप पत्राचार करेंगे क्या आप आश्वस्त हैं कि उनकी तरफ से ये धनराशि मुहैया करवा दी जाएगी?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री: अध्यक्ष जी, यह धनराशि हमें मिल जाएगी।

21/12/2016/1150/MS/AG/2

प्रश्न संख्या: 3575

श्री मनोहर धीमान: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें केवल चार सड़कों का ब्योरा दिया गया है। जो बाकी सड़कों का बरसात के कारण भारी नुकसान हुआ है उसके बारे में भी मैंने पूछा था लेकिन विभाग ने वह सूचना नहीं भेजी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं क्योंकि मेरे क्षेत्र में

भारी वाहन चलते हैं और बरसात के कारण काफी सड़कें भी खराब हुई हैं तो क्या उनके रख-रखाव के लिए विशेष धनराशि का प्रावधान किया जाएगा?

मुख्य मंत्री: माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र में जो भारी वर्षा के कारण सड़कों और पुलों को क्षति पहुंची है उनको ठीक करने के लिए सरकार धन का प्रावधान करेगी।

21/12/2016/1150/MS/AG/3

प्रश्न संख्या: 3576

अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री बिक्रम सिंह। (Not Interested)

प्रश्न संख्या: 3577

अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री महेश्वर सिंह। (Not Interested)

21/12/2016/1150/MS/AG/4

प्रश्न संख्या:3578

श्री राम कुमार: अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें केवल तीन वर्षों में जिला सोलन के जो तीन रोज़गार कार्यालय सोलन, कसौली और नालागढ़ हैं, का जिक्र है। बीबीएन में कुल 1893 उद्योग स्थापित हुए हैं जिनमें लाखों की तादाद में श्रमिक/कामगार कार्यरत्त हैं। लेकिन खेद का विषय है कि मेरे जिले के तीन रोजगार कार्यालयों से तीन वर्षों में केवल 181 लोगों की भर्ती की डिमाण्ड की गई है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में सभी उद्योगों को यहां से दिशा-निर्देश जारी किए जाएं कि जो भी भर्ती किसी भी उद्योग में हो, वह सीधी भर्ती न करके रोजगार कार्यालयों के माध्यम से या जो ज्वाइंट सिंगल विंडो कार्यालय बद्दी में स्थापित किया गया है वहां इनकी डिमाण्ड जाए ताकि स्थानीय

लोगों को भी पता चल सके कि किस उद्योग में कौन से कामगार की डिमाण्ड है। मैं मंत्री जी से ऐसा आश्वासन चाहता हूं।

मंत्री जी का जवाब श्री जे0एस0 द्वारा---

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/1

प्रश्न संख्या: 3578:---------**जारी**-----

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि जिस भी कारखाने में 25 लोगों से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि वह इम्प्लॉयमैंट एक्सचेंज के माध्यम से भर्ती करें और इसे आने वाल समय में कड़ाई से लागू किया जाएगा।

प्रश्न समाप्त।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/2

प्रश्न संख्या: 3579

अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र ठाकुर, अनुपस्थित।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/3

प्रश्न संख्या: 3580

श्री मोहन लाल ब्राक्टा: अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो ये खाली पड़े पद हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर भरने की कृपा करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्टाफ नर्सों की कमी है उस कमी को तो हम पूरा करेंगे ही लेकिन जो वॉक इन इन्टरव्यू से जो डॉक्टर आएंगे उससे भी कुछ डॉक्टर्ज़ लगाने की कोशिश की जाएगी।

प्रश्न समाप्त।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/4

प्रश्न संख्या: 3581

अध्यक्ष: श्री हंस राज, अनुपस्थित।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/5

प्रश्न संख्या: 3582

अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह, अनुपस्थित।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/6

प्रश्न संख्या: 3583

अध्यक्ष: श्री सुरेश कुमार, अनुपस्थित।

21.12.2016/1155/**जेके/एएस**/7

प्रश्न संख्या: 3584

अध्यक्ष: श्री बलबीर सिंह।

श्री बलबीर सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग्ज के लिए पैसे चौपाल चुनाव क्षेत्र को दिए हैं । ये कई विभागों में दिए गए हैं। मेरी यह विनती है कि कुछ पैसे रिपेयर के लिए, कुछ पैसे निर्माण के लिए, ये सारे के सारे पैसे अगर लोक निर्माण विभाग में जाते हैं तो उसकी हम अपने चुनाव क्षेत्र स्तर पर पूरी जानकारी भी रख सकते हैं और उसकी देखभाल भी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो नई कंस्ट्रक्शन

के लिए और रिपेयर के लिए चौपाल चुनाव क्षेत्र में स्कूल की बिल्डिंगों के लिए पैसे दिए हैं, चाहे किसी भी फंड से दिए हैं, उसके तहत अगर सारे पैसे लोक निर्माण विभाग में जाएंगे तो उसकी पूरी जानकारी हमें भी होगी और उसकी पूरी देखभाल भी कर सकते हैं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, जो पैसा दिया जाता है वह केवल चौपाल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण या मुरम्मत के लिए पैसा जाता है वह लोक निर्माण विभाग को भेजा जाता है। इसकी सूचना माननीय सदस्य को भी प्राप्त है। जो भी नियम है उसके मुताबिक ही यह अलॉटमैंट हो रही है। **अगर आपको किसी खास भवन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है आप उसके बारे में पत्र लिखें, सरकार उस पर विचार करेगी।**

श्री बलबीर सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कुछ स्कूल बिल्डिंग्ज़ का काम हिमुडा को दिया गया है, कुछ एक बिल्डिंग्ज का काम टैलिकम्युनिकेशन डिपार्टमैंट को दिया गया है। इस तरह से चार-पांच डिपार्टमैंट्स को काम दिया गया है। कुछ रिपेयर का पैसा डिपार्टमैंट खुद खर्च कर रहा है। जो स्कूल मैनेजमैंट कमेटी बनी है उसके तहत बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

21.12.2016/1200/SS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3584 **क्रमागत**:

श्री बलबीर सिंह वर्मा क्रमागत:

मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो स्पैशली एस0एम0सी0 (School Management Committee) के तहत पैसा जा रहा है वह सारा

पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 में जाए, चाहे वह मुरम्मत है या कंस्ट्रक्शन है। दोनों का पैसा अगर पी0डब्ल्यू0डी0 में जायेगा तो सही तरीके से रिपेयर और कंस्ट्रक्शन भी होगी।

मुख्य मंत्री: **आपने जो सुझाव दिया है इस पर सरकार विचार करेगी।**

प्रश्न काल समाप्त

21.12.2016/1200/SS/AG/2

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे।

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

i. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 11);
ii. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 12);
iii. हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 13);
iv. हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 14);
v. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 15);

vi. हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 16);

vii. हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17); और

viii. हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 18) ।

21.12.2016/1200/SS/AG/3

<u>कागज़ात सभा पटल पर।</u>

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) द्वितीय संशोधन नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III दिनांक 15.9.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.9.2016 को प्रकाशित;

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ कार्यालय सहायक(सूचना प्रौद्योगिकी), वर्ग-III(अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या: पीईआर(एपी-बी) बी(1)-1/2012 दिनांक 5.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 6.10.2016 को प्रकाशित;

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन(मैम्बरज़)(पच्चीसवां संशोधन) रेगुलेशनज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःपर(एपी-बी)ए(3)-11/2013 दिनांक 30.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.5.2016 को प्रकाशित;

21.12.2016/1200/SS/AG/4

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, उप-सचिव, गैर-हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, वर्ग-।(राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी) ए(3)-15/2013 दिनांक 19.7.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित;

v. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002(2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम.-ए(3)-8/2015 दिनांक 29.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 3.11.2016 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 (विलम्ब के कारणों सहित);

(vii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) ;

(viii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) ;

(ix) हिमाचल प्रदेश संरचना विकास अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 15वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16;

21.12.2016/1200/SS/AG/5

(x) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य संरचना विकास निगम सीमित, शिमला का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16; और

(xi) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 ।

अध्यक्ष: अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

i. हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2014 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःएम0पी0पी0-ए(3)-2/2013-। दिनांक 18.7.2016 द्वारा

अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.7.2016 को प्रकाशित; और

ii. कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2015-16 ।

अध्यक्ष: अब माननीय आबकारी एवं कराधान मन्त्री प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री कुछ कागज़ात सभापटल पर रखेंगे।

21.12.2016/1200/SS/AG/6

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

i. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 24.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.3.2016 को प्रकाशित;

ii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-3/2014 दिनांक 25.2.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01.03.2016 को प्रकाशित;

iii. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूचि-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्या:ई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2014-लूज़ दिनांक

09.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.3.2016 को प्रकाशित;

iv. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-7/2011-वोल्यूम-I दिनांक 28.3.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.3.2016 को प्रकाशित;

v. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-

21.12.2016/1200/SS/AG/7

एफ(10)-14/2014 दिनांक 19.4.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.4.2016 को प्रकाशित;

vi. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 11.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.08.2016 को प्रकाशित;

vii. हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 3 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची-2 में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-13/2016 दिनांक 20.8.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 23.8.2016 को प्रकाशित;

viii. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005

की अनुसूची-'क' और 'ख' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-5/2015 दिनांक 01.10.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2016 को प्रकाशित;

ix. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अन्तर्गत सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) संशोधन रूल्ज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(1)-3/2012 दिनांक 17.11.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 19.11.2016 को प्रकाशित; और

x. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 10 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-'क' में संशोधन जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2014 दिनांक 17.11.2016

21.12.2016/1200/SS/AG/8

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2016 को प्रकाशित ।

21.12.2016/1200/SS/AG/9

अध्यादेश

अध्यक्ष: अब अध्यादेश होंगे। अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्राधिकृत उद्योग मंत्री अध्यादेश की प्रति सभापटल पर रखेंगे।

उद्योग मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01.10.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का

अध्यादेश संख्यांक 4) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष: अब श्री प्रकाश चौधरी, आबकारी एवं कराधान मंत्री प्राधिकृत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अध्यादेश की प्रति सभापटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 06.09.2016 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

21.12.2016/1200/SS/AG/10

<u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष: अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन होंगे। अब श्री अजय महाजन, सदस्य, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2016-17)के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

i. समिति का 155**वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11(राज्य के

वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा **सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग** से सम्बन्धित है;

ii. समिति का 156**वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (राज्य के वित्त) पर आधारित तथा **युवा सेवाएं एवं खेल विभाग** से सम्बन्धित है;

iii. समिति का 157**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 135वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

iv. समिति का 158**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 139वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है;

v. समिति का 159**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 140वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में

21.12.2016/1200/**SS/AG**/11

अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **श्रम एवं रोजगार विभाग** से सम्बन्धित है; और

vi. समिति का 160**वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 35वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त विभाग** से सम्बन्धित है ।

जारी श्रीमती के0एस0

21.12.2016/1205/**केएस/एजी**/1

अध्यक्ष: अब श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री खूब राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति,(वर्ष 2016-17), समिति का 29वांमूल प्रतिवेदन जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित मकान निर्माण हेतु अनुदान योजना की गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष: अब श्री राकेश कालिया, सभापति, जन प्रशासन समिति, समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री राकेश कालिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 27वां मूल प्रतिवेदन जोकि सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: अब श्री अजय महाजन, सदस्य, सामान्य विकास समिति, समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगें तथा सदन के पटल पर रखेंगें।

श्री अजय महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2016-17), समिति का 19वां मूल प्रतिवेदन जोकि पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं ।

21.12.2016/1205/**केएस/एजी**/2

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष: श्री महेश्वर सिंह, अनुपस्थित ।

श्री जय राम ठाकुर, अनुपस्थित।

21.12.2016/1205/**केएस/एजी**/3

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुर:स्थापना

अध्यक्ष: अब श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करेंगें।

21.12.2016/1205/**केएस/एजी**/4

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष: हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 22) को पुर:स्थापित हुआ

21.12.2016/1210/**av/as**/1

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियाजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

21.12.2016/1210/av/as/2

अब माननीय उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, में आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुर:स्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 21) पुर:स्थापित हुआ।

21.12.2016/1210/**av/as**/3

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करता हूं।

21.12.2016/1210/av/as/4

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 24) पुरःस्थापित हुआ।

अगला विधेयक श्री वर्मा द्वारा जारी

21.12.2016/1215/TCV/AS/1

अध्यक्ष: अब माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री (प्राधिकृत) प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री (**प्राधिकृत**): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करेंगे।

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) को पुरःस्थापित करता हूं।

21.12.2016/1215/TCV/AS/2

अध्यक्ष: हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांकः 25) पुरःस्थापित हुआ।

21.12.2016/1215/TCV/AS/3

नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

अध्यक्ष: नियम-324 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव विशेष उल्लेख हेतु आए हैं, उनका उत्तर दिया गया समझा जाएगा और माननीय सदस्यों को उनके उत्तर की प्रतियां उपलब्ध करवा दी जाएगी। नियम-324 के अन्तर्गत उठाए गए मामले निम्न प्रकार से हैः

(1) **श्री राकेश कालिया (गगरेट)**: माननीय अध्यक्ष महोदय मैं सरकार का ध्यान_लोक निर्माण मण्डल भरवाईं जिला ऊना जो कि मेरे चुनाव क्षेत्र गगरेट के अन्तर्गत आता है । गगरेट चुनाव क्षेत्र में पडने वाली मरवाडी जोह सडक, दौलतपुर चौक भद्रकाली व दौलतपुर डन्गोह स़डकों में जगह-जगह गड्डे पडने से दयनीय स्थिति हो गई है, जिनके रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए पर्याप्त एवं तुरन्त धनराशि उपलब्ध करवाने की कृपा करें क्योंकि गत तीन बर्षों से गगरेट में स़डको की मुरम्मत के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसी कारण स़डको की दिन प्रतिदिन खस्ता हालत होती जा रही है । अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सडकों की तुरन्त मुरम्मत करवाई जाए।

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सड़कों की वस्तुस्थिति इस प्रकार से हैः-

गगरेट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न सड़कों की मुरम्मत एवं रख रखाव हेतू गत तीन वर्षों (2013-14 से अब तक) में 798.90 लाख रू0 धन राशि खर्च की गई। जिन स़डकों का उल्लेख उपरोक्त व्याख्यान मे किया गया है उनके मुरम्मत एवं रख रखाव हेतू गत तीन वर्षों में 82.27 लाख रू0 व्यय किये गये जिसका स़डक व वर्षवार व्यौरा निम्नलिखित है :-

क्र0सं0	स़डक का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	योग
	पैच बर्क	(रुपये लाखों में)				
1	मरवाडी से जोह वाया सन्धानी कि.मी. 0/0 से 4/080 (2.520 कि.मी.	2.68	3.22	4.80	3.45	14.15

	तक पक्की है)					

21.12.2016/1215/TCV/AS/4

2	दौलतपुर भद्रकाली (षंकरनगर) तक कि.मी. 0/0 से 11/600	7.35	9.27	12.68	15.00	44.30
3	दौलतपुर चौक से डन्गोह सडक ब्लाक वांउड्री तक कि.मी. 0/0 से 6/0	4.96	3.27	6.59	9.00	23.82
	योगः-	14.99	15.76	24.07	27.45	82.27

उपरोक्त तीनों स़डकों पर अधिकतर पैच वर्क किया गया है तथा शेष कार्य सर्दियों के उपरान्त कर दिया जाएगा तथा स़डकों की सामान्य स्थिति संतोशजनक है। माननीय विधायक द्वारा वर्णित सडको पर Annual Surfacing का कार्य लगभग पांच वर्ष पूर्व हूआ था। अतः वर्ष 2017-18 के Annual Maintenance Plan मे इन स़डको पर Annual Surfacing के लिए उपलब्ध बजट के अनुसार प्रस्तावना अपेक्षित है। गगरेट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आगामी वितीय वर्ष में लगभग 25 किलोमीटर स़डकों पर Annual Surfacing की जानी प्रस्तावित है ।

21.12.2016/1215/TCV/AS/5

(2) **श्री राकेश कालिया**: मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र गगरेट के गांव चलेट, मरवा़डी, जोह, डंगोह जो सिंचाई व उठाऊ पेयजल योजना बदमाणा तथा गगरेट (अप्पर) जो कि गगरेट, कलोह उठाऊ पेयजल योजना में पानी की सदैव किल्लत रहती है। विशेषकर गर्मियों में इन योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को उनकी मांग अनुसार पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि पर्याप्त धनराशि के अभाव में खराब मशीनरी की समय-

समय पर मुरम्मत नही हो पाती क्योंकि जिला ऊना की अन्य पेयजल योजना एवं सिंचाई योजनाओं की अपेक्षाकृत गगरेट चुनाव क्षेत्र के लिए बहुत कम धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र सिंचाई व पेयजल योजनाओं को चालू रखने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाये।''

सिंचाई एंव जन स्वास्थ्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त पेयजल एवं उठाऊ योजना की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः

वर्तमान में गांव चलेट को पेयजल योजना चलेट से 70 LPCD की दर से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यह योजना वर्ष 1993-94 में बनी थी तथा इसका संम्बर्धन कार्य 2008-09 में किया गया जिसके अन्तर्गत राइजिंग मेंन और पंम्पिग मशीनरी के कार्य को छोडकर बाकी सारे कार्य Distribution Tanks & Storage Tanks आदि का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त पेयजल की प्रतिपूर्ति हेतु इस गांव में 4 हैण्डपम्प भी लगाए गए हैं।

गांव मरवा़डी को पेयजल योजना गनू मंद्वादा से पानी की आपूर्ति की जा रही है। यह योजना 1987 में आरम्भ की गई थी। इस योजना का सम्बर्धन कार्य नहीं हुआ है परन्तु इस योजना के अन्तर्गत आने वाले गांव बबेहर और गनु, मंद्वादा के लिए अलग पेयजल योजनाएं बनाई जा चुकी है। अतः इस योजना से केवल गांव मरवा़डी व रायपुर के लिए ही 70 LPCD की दर से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

गांव जोह को पेयजल योजना जोह सलोह से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यह योजना 2008 में आरम्भ की गई थी। ग्राम पंचायत सलोह बेरी में पानी की कमी को देखते हुए एक अलग पेयजल योजना ''ऊठाऊ पेयजल योजना अम्बोहा
21.12.2016/1215/TCV/AS/6

सलोह बेरी रायपुर मरवा़डी और डंगोह खुर्द'' का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति अक्तुबर, 2016 में रूपये 633.16 लाख की नाबार्ड के अन्तर्गत प्राप्त हो चुकी है। इस योजना के बनने पर अम्बोहा सलोह बेरी मरवा़डी रायपुर एवं डंगोह खुर्द आदि गावों के

लिए अतिरिक्त पेयजल उपलब्ध हो सकेगा व पुरानी योजना जोह सलोह से जोह गांव के लिए 70 LPCD की दर से पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त पेयजल की प्रतिपूर्ति हेतु इस गांव में 4 हैण्डपम्प भी लगाए गए हैं।

गांव डंगोह को पेयजल योजना डंगोह से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। यह योजना 2009 में आरम्भ की गई थी। इस योजना की वितरण प्रणाली के सुधार हेतु एक प्राक्कलन SCSP के अन्तर्गत रूपये 198.29 लाख का दिनांक 27.06.2016 को स्वीकृत हुआ है। इसके अतिरिक्त यह गांव ऊठाउ पेयजल योजना अम्बोहा सलोह बेरी रायपुर मरवा़डी और डंगोह खुर्द के अन्तर्गत भी शामिल है जिसमें नया स्त्रोत व अन्य कार्य प्रस्तावित हैं। पेयजल की प्रतिपूर्ति हेतु इस गांव में 5 हैण्डपम्प भी लगाए गए हैं।

गगरेट अप्पर को पेयजल योजना गगरेट कलोह से पानी की आपूर्ति की जाती है। यह योजना 1985-86 में बनी थी तथा इसका सम्बर्धन कार्य 1999-2000 में किया गया था। इस योजना में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए योजना के दोबारा सम्बर्धन के कार्य का प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति रूपये 154.75 लाख की प्राप्त हो चुकी है तथा योजना का कार्य प्रगति पर है। योजना का लगभग 65% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 500 मीटर राइजिंग मेन बिछाने का कार्य झग़डे के कारण बन्द है जिसको सुलझाने के प्रयास किए जा रहे है। पेयजल की प्रतिपूर्ति हेतु इस पंचायत में 3 हैण्डपम्प भी लगाए गए हैं।

21.12.2016/1215/TCV/AS/7

इन गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 10 न0 नलकूप लगाये गये हैं जिनके द्वारा 220 है0 भूमि सिंचित की जा रही है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	**गांव का नाम**	**नलकूपों की संख्या**	**सिंचित क्षेत्र (है0)**
1.	चलेट	2 न0	45.00
2.	मरवाडी	1 न0	20.00
3.	जोह	1 न0	25.00
4.	डंगोह	6 न0	130.00

जिला ऊना के अन्तर्गत पेयजल एवं सिंचाई योजनाओं के रख-रखाव के लिए बजट आबंटन का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वर्ष	पेयजल योजनाओं की संख्या	सिंचाई योजनाओं की संख्या	पेयजल योजनाओं के रख रखाव का बजट (लाखों में)	सिंचाई योजनाओं के रख रखाव का बजट (लाखों में)
विधान सभा क्षेत्र हरोली					
1	2014-15	31	46	135ण्10	60.91
2	2015-16	31	46	125.64	35.47
3	2016-17	31	46	66.21	28.55
विधान सभा क्षेत्र ऊना					
1	2014-15	25	163	121.59	54.81
2	2015-16	25	165	113.07	31.92
3	2016-17	25	165	59.59	25.70
विधान सभा क्षेत्र कुटलैहड़					
1	2014-15	43	59	128.14	36.25

21.12.2016/1215/TCV/AS/8

2	2015-16	43	60	75.46	20.22
3	2016-17	43	60	31.30	15.97
विधान सभा क्षेत्र गगरेट					
1	2014-15	33	160	86.35	38.36
2	2015-16	35	160	129.79	14.49
3	2016-17	40	162	66.34	8.97

विधान सभा क्षेत्र चिन्तपुरनी					
1	2014-15	60	81	75.36	32.41
2	2015-16	61	81	111.79	14.66
3	2016-17	61	85	53.94	8.93

यह सत्य है कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष योजनाओं के रख रखाव के लिए बजट प्रावधान सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम है परन्तु लोगों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति तथा बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग प्रयासरत है।

अध्यक्ष: अब मान्य सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए एडजोर्न की जाती है।

सदन की कार्यवाही पुन: शुरू होने श्रीमती एन0एस0----- द्वारा।

21/12/2016/1250/**NS/AG**/1

(**Before the start of the House proceedings at** 12.50 **pm, Shri Suresh Bhardwaj announced from the Chair that the House is adjourned for the day**.)

(मान्य सदन की कार्यवाही 12.50 अपराह्न अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पुन:आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा लोकतंत्र का क्या मज़ाक हो सकता है कि आप अपने आसन की तरफ आ रहे थे और श्री सुरेश भारद्वाज जी जा करके आपके आसन पर बैठ जाते हैं तथा घोषणा कर देते हैं कि "the House is adjourned for the day" मैं समझता हूं कि इनके इस कृत्य की जितनी

निंदा की जाए उतनी कम है। यह डेमोक्रेटिक नॉर्म्ज़ के खिलाफ है। अगर कभी माननीय स्पीकर न हों या कहीं चले जाते हैं तो माननीय डिप्टी स्पीकर आपके आसन पर बैठते हैं। अगर उस समय डिप्टी स्पीकर भी न हों तो आप खुद Presiding Officer को बुला करके कहते हैं कि आप हाऊस को preside करो। श्री सुरेश भारद्वाज जी self-styled Presiding Officer बन करके और यहां आपके आसन पर बैठ करके "the House is adjourned for the day" कह देते हैं, इनकी इस कृत्य के लिए जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि यह हमारे लोकतान्त्रिक इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात रही है। इन्होंने पहले भी बात न मान कर और आज स्पीकर के आसन पास जा करके घटिया किस्म के नारे लगाए हैं, सदन इसकी भर्त्सना करता है। इनको न तो सदन की गरिमा का और न ही लोकतन्त्र के नॉर्म्ज़ का ख्याल है। सदन इसकी भर्त्सना करता है और अध्यक्ष महोदय, आज की कार्यवाही विधिवत तौर पर शुरू की जाए।

अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि कुछ मैम्बर्ज़ सदन की गरिमा और सदन के रूल्ज़ व रेग्यूलेशन्ज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन सदस्यों को रि-ओरिएन्टेशन करवाना चाहिए कि विधान सभा में कैसे बैठा जाता है? अभी

21/12/2016/1250/**NS/AG**/2

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने जो इंसिडैंट बताया है वह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि यह जगह ड्रॉमा करने के लिए नहीं होती है। यह जगह माननीय सदस्यों के बैठने का आसन है। यहां पर हमारे रूल्ज़ भी हैं कि

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी

21.12.2016/1255/RKS/AG-1

अध्यक्ष.... जारी

कोई भी अनऑथोराइज्ड आदमी किसी सदस्य की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इसके लिए कंडैम करता हूं। ऐसी स्थिति में सभी मैम्बर्ज को सिविलाइज तरीके से हाउस में बोलना चाहिए। यहां पर आप जो बोलना चाहे बोलिए, बोलने के लिए आपको टाइम दिया जाता है परन्तु स्पीकर की रुलिंग और डिसिज़न को क्रिटिसाइज करना, मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने लोक सभा और विधान सभा के लम्बे राजनैतिक जीवन में ऐसी बेहुदगी नहीं देखी है, जिसका प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके विधायकों के द्वारा यहां देखने को मिला। उन्होंने न केवल इस सदन की अवमानना की है बल्कि स्पीकर के पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। वह आपके आसन के पास पहुंच गए और यहां तक कि विपक्ष के नेता जो कि दो बार मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं वह भी आपके पीठासीन के ऊपर चढ़ गए। यह एक शर्म की बात है। प्रजातंत्र के अंदर विरोध होता है परन्तु वह विरोध शालीनता के साथ और नियमों की गरिमा को रखते हुए होता है। वे समझते हैं यह विधान सभा नहीं है। इस तरह से बहक जाना, जैसे वे अपनी मंडली में बैठे हो। मैं इसकी सख्त भर्त्सना करता हूं। यह सब कुछ प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी, जो कि विपक्ष के नेता हैं उनकी मौजूदगी व इशारे में हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आपके पदासीन होने से पहले जब यह हाउस एडजोर्न था, एक मैम्बर आपकी कुर्सी पर जाकर बैठता है when the House is in session, मैं समझता हूं इससे ज्यादा अपमान इस माननीय सदन में और क्या हो सकता है? मैंने ऐसा दृश्य न लोक सभा में और न ही राज्य सभा में देखा है और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और इस माननीय सदन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह किया है उसके लिए इन्हें दण्डित किया जाए ताकि इन्हें इस प्रकार की बेहुदगी दोबारा करने के लिए रोका जा सके।

21.12.2016/1255/RKS/AG-2

अध्यक्ष: अब इस सभा में नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव भी अंकित है और लंच ऑवर से पहले हम इस प्रस्ताव को शुरू कर रहे हैं तथा लंच के बाद इस प्रस्ताव को चर्चा में लाएंगे। अब श्री संजय रतन जी नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

21.12.2016/1300/SLS-AS-1

अध्यक्ष ...जारी

अब श्री संजय रतन जी नियम-130 के अंतर्गत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 08 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि दिनांक 08 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे यह सदन विचार करे।

इस विषय पर सर्वश्री अजय महाजन, मोहन लाल ब्राक्टा और कुलदीप कुमार जी से भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वह भी चर्चा में भाग ले सकते हैं। इस पर कोई मतदान नहीं होगा। चर्चा के पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देकर इसको समाप्त करेंगे।

अब मैं श्री संजय रतन जी से कहूंगा कि वह अपनी चर्चा आरंभ करें।

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, 08 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा पूरे हिंदुस्तान में एक तुगलकी फ़रमान जारी किया गया। एक प्रैस कॉंफ्रैंस के ज़रिए हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने हमारी करंसी के 500 तथा 1000 के नोटों को बंद करने का एलान किया और पूरे हिंदुस्तान में ही हा-हाकार मच गई। उस वक्त जो आदमी बीमार था वह हॉस्पिटल में

तड़फने लगा, जिसके घर में फंक्शन आने वाला था और जो उसकी तैयारियों में जुटा हुआ था, वह भी दु:ख के कारण अपनी पीड़ा लोगों को नहीं बता सका। एक तुगलकी फ़रमान जारी किया गया कि आज रात 12.00 बजे के बाद हिंदुस्तान की करंसी के 500 और 1000 के नोट कागज़ के टुकड़े में तबदील हो जाएंगे।

हिंदुस्तान में आर्थिक एमरजंसी लगाने का यह प्रयास जो हिंदुस्तान की सरकार ने किया है, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में हा-हाकार मची है, उससे हमारा

21.12.2016/1300/SLS-AS-2

प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। आज हमारे प्रदेश में भी बहुत से गांवों में जनता को असुविधा हो रही है। आज बीमारों को अपना इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। जिस घर में शादी है वहां शादी करवाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। बड़े-बड़े भाषण दिए जा रहे हैं कि अढ़ाई लाख रुपया शादी के लिए बैंक से जारी किया जाएगा, मगर अढ़ाई लाख लेने के लिए जो बहुत-सी शर्तें लगाई गई हैं, उन शर्तों को कैसे पूरा करना है? उसके बावजूद भी बैंकों में आज कैश नहीं है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री वीरभद्र सिंह जी का, जिन्होंने, जब केंद्र सरकार ने नोटबंदी जारी की, दूसरे ही दिन प्रदेश की जनता की सुविधा के लिए एक स्टेटमैंट जारी की कि हिमाचल प्रदेश में जहां भी बैंकों में नोट नहीं होंगे, हिमाचल सरकार किसी भी तरीके से वहां पर नोट पहुंचाएगी और इसके लिए हमें हैलिकाप्टर की सुविधा भी देनी पड़ेगी तो हम देंगे। मुख्य मंत्री जी ने बैंकों में नोट पहुंचाने का प्रयास किया और सरकार द्वारा कई जगह नोट पहुंचाए भी गए, मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में बैंकों में नोट नहीं मिल रहे हैं। आज अगर आप नोट लेने के लिए बैंकों में जाते हैं तो वहां कतारों में खड़ा होना पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान में ए.टी.एम. मशीनें बदलने की बात की गई और ऐसे नए नोट प्रिंट किए गए हैं जो कि ए.टी.एम. मशीन में फिट ही नहीं आते हैं। इसलिए नोट फिट करने के लिए नई मशीने

लाई गईं या उन्हें तैयार किया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश में और हिंदुस्तान में हा-हाकार मची है।

हिमाचल प्रदेश में बैंकों की भी कमी है। यहां इतने इंटिरियर इलाके हैं जहां पर केवल हमारी कौपरेटिव सोसाइटीज बैंक का काम करती थी या स्टेट कौपरेटिव बैंक काम करते थे। लेकिन अब यहां तक कि हमारे कांगड़ा कौपरेटिव बैंक को भी नोट लेने-देने से इंकार कर दिया गया, वह भी नोट जारी नहीं कर सकता और लोगों को सुविधा नहीं दे सकते। आज तक सात देशों ने अपनी करंसी बदली है। अमेरिका के साथ जिन अन्य 6 देशों ने अपनी करंसी चेंज की,

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

21/12/2016/1305/RG/AS/1

श्री संजय रतन----क्रमागत

थी आज भी वे अपनी अर्थ-व्यवस्था सही नहीं कर पाए हैं। करेंसी को चेंज करने से आज हिन्दुस्तान भी एक साल पीछे चला गया है। आज मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारों को सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, आज कोई निर्माण नहीं हो रहा है, किसी के घर में शादियां नहीं हो रही हैं, बीमार अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं और पूरे हिन्दुस्तान एवं हिमाचल प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ है।

अध्यक्ष महोदचय, आज हमारे ऊपर यह कंडीशन लगाई गई कि आप एक हफ्ते में 24,000/-रुपये बैंक से अपने खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन जब आप बैंक में अपने 24,000/-रुपये भी लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक मैनेजर कहते हैं कि हमारे पास कैश नहीं है। मैंने तीन दिन पहले अपने ड्राईवर को 15,000/-रुपये का चैक दिया, लेकिन पी.एन.बी., ज्वालामुखी शाखा में केवल मात्र उसको 3,000/-रुपये दिए गए। शेष 12,000/-रुपये उसको नहीं दिए। जबकि उसके घर में कोई बीमार था। तो आज बीमार आदमी के लिए भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार बहुत बड़े-बड़े फरमान जारी कर रही है कि हम अढ़ाई लाख रुपये शादी के लिए देंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के

लिए बैंक मैनेजर के पास जाता है कि हमें शादी के लिए अढ़ाई लाख रुपये चाहिए, तो बैंक का मैनेजर कहता है कि हमारे पास कैश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां बहुत दु:ख की बात है कि ये कहते हैं कि हम काला धन बाहर निकाल रहे हैं, तो काला धन कहां है? इन्होंने जो कहा था कि हम 15,00,000/-रुपये हर खाते में डालेंगे। अब वह 15,00,000/-रुपये कहां है? आज हिन्दुस्तान की जनता का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने नए-से-नए शगूफे छोड़े हैं। आज इन्होंने करेंसी चेंज करके पूरे हिन्दुस्तान में हा-हाकार मचा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी इससे हा-हाकार मचा हुआ है। इससे जनता को जो असुविधा हो रही है, मैं चाहता हूं कि यह सदन इस पर गहन विचार करे। आज हिन्दुस्तान के नागरिक को अपने खाते से पैसे निकालने के लिए वंचित होना पड़ रहा है। आज अपना कमाया हुआ पैसा लेने के लिए भी हमें बैंकों के धक्के खाने पड़ रहे हैं, बैंकों में लाईनों में खड़े होना पड़ रहा है। आज मजदूर दिहाड़ी लगाता है, उसे मजदूरी मिलती है, पहले वह बैंक में जाएगा, पैसे जमा करवाएगा और उसके बाद वह अपने ही पैसे लेने के लिए लाईन में खड़ा होगा और वहां धक्के खाकर आएगा। इससे कितने ही लोगों की मृत्यु

21/12/2016/1305/RG/AS/2

देश में हो चुकी है और कितनी ही मॉ-बहिनों की डिलीवरी लाईनों में हुई है। आज केन्द्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। मैं तो यह दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इन्होंने हा-हाकार मचाया हुआ है, कल ये कह रहे थे कि नोटबन्दी के बाद हमने चण्डीगढ़ का चुनाव जीता। लेकिन मैंने कल भी यह कहा था और आज भी कह रहा हूं कि अगर आपने नोटबन्दी के बाद चण्डीगढ़ का चुनाव जीता है, तो आप हिन्दुस्तान की संसद को भंग कर दो और दुबारा यहां चुनाव करवाओ, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में है। गरीब आदमी आज तड़प रहा है। हिन्दुस्तान की कोऑपरेटिव सोसायटीज 90% गरीब आदमियों को फीड करती हैं। हमारे गांव में बैंक की शाखाएं नहीं हैं, हमारे गांवों में आज ए.टी.एम. नहीं हैं और आज हमारे लोगों को अपने पैसों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। इसलिए हमारी अर्थ-व्यवस्था जिसके ऊपर केन्द्र सरकार ने अंकुश लगाने का प्रयास किया है और इससे जो असुविधा हमारे लोगों को हो रही है उससे देश अछूता नहीं है। इससे देश में अफरा-तफरी फैली हुई है बल्कि हमारे छोटे से प्रदेश में

भी इससे अफरा-तफरी मची हुई है। हालांकि उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत प्रयास किया है, मगर हमारे पास कैश नहीं है। आज जितनी करेंसी इन्होंने प्रिंट की है उससे ज्यादा नए नोटों की करेंसी इनके लोगों के पास मिल रही है। आज पूरे हिन्दुस्तान में जितनी भी रेड्स हुई हैं, उनमें किसी कांग्रेसी के पास या आम-आदमी के पास पैसा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों के पास ही करोड़ो-अरबों के नए नोट मिले हैं, पुराने नोटों की तो बात ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सबके खातों की पिछले एक साल की पड़ताल की जाए ताकि पता चले कि पिछले एक साल में कितना लेन-देन उनके खातों में हुआ है और कितनी जमीनों के सौदे उन लोगों ने किए हैं। इन लोगों को पता था कि हम नोटबन्दी करेंगे। इसलिए इन्होंने अपना काला धन पहले ही इनवेस्ट कर दिया था। पहले ही इन्होंने जमीनें खरीदीं और बैंकों में भी काला धन इन्होंने पहले ही जमा कर दिया था और आम-आदमी को प्रताड़ित करने के लिए इन्होंने नोटबन्दी 8 नवम्बर, 2016 को जारी कर दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे जो असुविधा हमारे हिमाचल प्रदेश में लोगों को हुई है इसके लिए केन्द्र सरकार के विरूद्ध यहां से

21/12/2016/1305/RG/AS/3

एक प्रस्ताव पास करके भेजा जाए ताकि इन्होंने देश में जो आर्थिक इमरजेंसी लगाने का प्रयास किया है उससे पूरे हिन्दुस्तान को निजात मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रस्ताव पर चर्चा कर लेते, तो अच्छा होता।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें 3-4 माननीय सदस्य ही बोलने वाले हैं। यदि इसको खत्म कर दें, तो अच्छा रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको कॉन्टीन्यु करें।

एम.एस. द्वारा जारी

21/12/2016/1310/MS/AG/1

Speaker: Mr. Ajay Mahajan would you like to speak on this?

श्री अजय महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 130 के अंतर्गत आपके माध्यम से जो संजय रतन जी ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने कालेधन का एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा और कहा कि जो कालाधन विदेशों में है उसको 100 दिन के अन्दर-अन्दर हिन्दुस्तान में वापिस लाया जाएगा और आम आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा किया जाएगा। हर मंच से बड़े ऊंचे-ऊंचे स्वर में यह घोषणा की जाती थी। कई 100 दिन बीत गए परन्तु जो विदेशों से कालाधन हिन्दुस्तान में आना था उसका एक भी पैसा वापिस नहीं आया। आम जनता का ध्यान उस मुद्दे से बांटने के लिए 8 नवम्बर की रात्रि को एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया जिसमें कहा गया कि 1000/-रुपये और 500/-रुपये के नोट अब बन्द कर दिए गए हैं। भारत की जनता एक नई आस में इस फैसले को मानकर 10 दिसम्बर को बैंकों, डाकघरों और कॉपरेटिव सोसाइटीज के बाहर लाइनों में लग गई कि शायद इस फैसले में कोई बेहतरी होगी। अफसोस की बात है कि सारा हिन्दुस्तान लाइनों में खड़ा हो गया। सब जगह गरीब औरतें और मजदूर जिनके घर में खाने को रोटी नहीं थी लाइनों में लगे हुए थे। "मनरेगा" के मजदूर लाइनों में लगे हुए थे और बैंकों में एक पैसा नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है कि अपना ही पैसा बैंकों में हो और हमें उस पैसे के लिए लाइनों में लगकर, धक्के खाकर यतीमों की तरह तरले करने पड़े हैं। बैंक मैनेजर के घुटनों में हाथ लगाने पड़ते थे कि हमारे पैसे हमें दे दीजिए। कई जगह पुलिस के डण्डे भी लोगों को खाने पड़े और कई जगह झगड़े भी हुए। तब भी जो हमारे पैसे थे वे हमें नहीं मिले। हररोज़ एक नया तुगलकी फरमान जारी होता था कि आज आप 10,000/-रुपया निकाल

सकते हो, आज आप 24,000/-रुपया निकाल सकते हो। अलग-अलग दिन अलग-अलग फरमान जारी होते थे। लोग टी0वी0 के

21/12/2016/1310/MS/AG/2

पास बैठकर देखते थे कि आज क्या नया फरमान जारी होगा। बड़े शर्म और दु:ख की बात है जैसे मेरे भाई संजय रतन ने कहा कि लोग लाइनों में खड़े होकर जब कहते थे कि हमें 24,000/-रुपये लेने हैं लेकिन वहां पर तीन-तीन और चार-चार हजार रुपये उनको मिलते थे। अपना ही पैसा और उसके लिए तरले करें? यह कैसा कैसा हिन्दुस्तान है और कैसा प्रधानमंत्री है? यह हिन्दुस्तान की जनता को नामंजूर है। सबको चोर बना दिया। क्या हिन्दुस्तान की जनता चोर है? क्या सभी लोगों के पास कालाधन है? जिनके पास कालाधन था वे कभी भी बैंकों की लाइनों में नहीं लगे और न लगे थे न लगे हैं। लाइनों में वे लोग लगे जिन बेचारों के पास रात का खाना खाने के लिए रोटी नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कहा कि इस फैसले के साथ भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हिन्दुस्तान में जो भ्रष्टाचार की बीमारी है,

जारी श्री जे0एस0 द्वारा------

21.12.2016/1315/**जेके/एजी**/1

श्री अजय महाजन:---------**जारी**-----

हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार की बीमारी दूर हो जाएगी। हुआ क्या, यदि आज आप देखें तो नोटबन्दी बाद में हुई और parallel black economy शुरू हो गई। हमें तो गरीब आदमियों को, साथियों को दो-दो हजार, चार-चार हजार के लिए तरसना पड़ रहा था लेकिन दूसरी ओर करोड़ों का जो लेन-देन हो रहा था, वह पैसा कहां से निकला? यह सरकार जिम्मेदार है। प्रधान मंत्री जो इस हिन्दुस्तान की सरकार चला रहे हैं, वे जिम्मेदार हैं। वे कहते हैं कि बैंकों ने भ्रष्टाचार किया। रिज़र्व बैंक ने भ्रष्टाचार किया। क्या आप उसके

मुखिया नहीं हो, क्या आपके ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं आती कि भ्रष्टाचार न हो? रोज़ रेड्ज़ हो रही हैं। करोड़ों रूपये निकल रहे हैं। अधिकतर लोग यहां बड़े-बड़े पूंजीपति हैं या बी0जे0पी0 पार्टी से संबंध रखते हैं। इसका इन्होंने ऐसा समय चुना जो सबसे बड़ा शादियों का समय था और किसानों का गेहूं बीजने का समय था। मैं एक गांव में शादी में गया और उस परिवार ने मुझे अपनी दास्तान सुनाई कि परसों हमारे घर में शादी है और तीन दिन पहले हम बैंक में गए, जिसकी शादी थी उसने और उसके माता-पिता ने मुझे बताया कि हमने सारे का सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया कि शादी का सारे का सारा लेन-देन हम बैंक के जरिए करेंगे। सुबह 10.00 बजे हम लाईन में खड़े हुए और 4.00 बजे शाम तक हमें तीन-तीन हजार रूपए तीनों को मिले यानि कि नौ हजार रूपए मिले। 9 हजार में शादी करने जा रहे है और अपना ही पैसा ? वे कहते हैं कि हमने उस बैंक में पैसा जमा करवाया। उस थोड़े से पैसे को खोलने के लिए उनका पूरा दिन लग गया। सैंकड़ों परिवार, हजारों परिवार, लाखों परिवार ऐसे थे जिनके घर में बेटे या बेटी की शादी थी। वह एक बहुत ही पवित्र दिन होता है और जिन्दगी में यह दिन एक बार ही आता है और उसके लिए इतना ज्यादा ज़लील होना पड़ा? मेरे पास एक फोन आया, मेरा एक समर्थक/साथी था। मुझे कहता है कि मेरी माता जी अस्पताल में एडमिट है, 18 हजार रूपए चाहिए। डॉक्टर उनको घर वापिस नहीं लाने दे रहा है। आप बैंक मैनेज़र से बात कीजिए। मैंने बैंक मैनेजर से कहा कि भाई साहब इस स्थिति में तो इनकी मदद करो। वह कहता है कि सर, हम क्या करें हमें

21.12.2016/1315/**जेके/एजी**/2

तो पीछे से ही नोट नहीं आ रहे हैं। पैसे ही नहीं आ रहे हैं हम कहां से दें। क्या प्रधान मंत्री जी किसी महिला की डिलीवरी रोक सकते हैं? जिस महिला के बच्चा पैदा होना है क्या उसको 50 दिन रोक पाएंगे? क्या जिसको हॉर्ट अटैक होता है क्या वह 50 दिन इन्तज़ार करेगा कि मुझे हॉर्ट अटैक न आए और 50 दिन के बाद आएगा? उनको पूछो जिनके घरों में बीमारियां आई है। उनको पूछो जिनको असुविधा का सामना करना पड़ा। एक बैंक

मैनेजर मुझे कहता है, जिस दिन यह फैसला हुआ, कहता है कि हमें तो यहां पर फंसा दिया और खुद जापान चले गए और वहां पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और हम सुबह से शाम तक लोगों से लड़ रहे हैं। जो ए0टी0एम0 मशीनें थी, मैं सुबह टी0वी0 देख रहा था, एक आर0टी0आई0 किसी ने ली उन्होंने कहा कि जिस दिन ये तुगलकी फ़रमान ज़ाहिर किया गया उस दिन एक भी 500 का नोट छपा नहीं हुआ था। यह कैसा फैसला है? अगर फैसला लेना है उसकी बैकअप प्लान ठीक होनी चाहिए थी। आप रोज़ देखते हैं कि सिर फटे हुए हैं, टांके लगे हुए हैं और लोग रो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है। हमारे विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमने इसमें चर्चा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? जो असुविधा जनता को हो रही है उसके लिए तो आपको सुनना ही पड़ेगा।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

21.12.2016/1320/SS/Ag/1

श्री अजय महाजन क्रमागत:

एक बड़ी अजीबोग़रीब टैक्नीकल बात है जो हमारे ज़ैहन में नहीं आती कि कैसे हुआ। जो आर0बी0आई0 का डाटा था उसके अनुसार मार्च, 2016 तक 500 और 1000 के नोट जो सर्क्युलेशन में थे उनकी वैल्यू 14.18 लाख करोड़ थी यानी टोटल करैंसी की 86 परसैंट थी। आज जो धन जमा किया है वह तकरीबन इतना ही जमा हो गया है। तो फिर यह काला धन कहां गया? वह सारे का सारा तो बीच में आ गया। यह आज बड़ी चिन्ता का विषय है कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां थीं उन्होंने तो अपना सारा सिस्टम सैट कर लिया और जो गरीब लोग थे, जो दिहाड़ी लगाते थे, जो सुबह घर से बाहर जाकर मजदूरी करके पैसे कमाकर शाम को लौट कर अपनी दो टाइम की रोटी का इंतजाम करते थे उनको अब अपना पैसा लेने के लिए सारा दिन लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये सिस्टम जो है, जितना पैसा सर्क्युलेशन में था वह सारा वापिस आ गया। नोटबंदी के बाद रोज़ 58 डिफरैंट अनाऊंसमैंट्स हुई हैं। रोज़ कोई उठता है और नई बात कर देता है। अब लास्ट उन्होंने

कहा, और टाइम दे दिया कि अपना काला धन फिर जमा करवा दो कि 25 परसैंट इस योजना में जमा कर दो और 50 परसैंट इसमें कर दो। यह हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। आजकल एक नई बात चल पड़ी है - "कैशलैस इकोनॉमी"। ये अल्फ़ाज तो बहुत अच्छे लगते हैं - "कैशलैस इकोनॉमी"। अंग्रेज़ी में लगता है कि पता नहीं, ये क्या नई चीज़ लेकर आए हैं। कैशलैस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं लेकिन प्रधान मंत्री जी ऐसा कहने से पहले क्या आपने उस गरीब की हालत पर ध्यान दिया जो बेचारा सारा दिन मेहनत करके सिर्फ रोज़ी-रोटी के लिए पैसे कमा पा रहा है? क्या आपने उन बेसहारों के बारे में सोचा जिनके सिर पर आज भी रहने के लिए छत नहीं है? वह गरीब जिनके खाते में पता नहीं हज़ार रुपये भी होंगे या नहीं होंगे, इनसे आप ए0टी0एम0 ट्रांजैक्शन की अपेक्षा करते हैं। गरीबों के साथ कैसा भद्दा मज़ाक कर रहे हो। आप उससे मोबाईल ट्रांजैक्शन की बात करते हो जो बेचारा पहले स्मार्ट फोन खरीदेगा, फिर इंटरनैट की फैसिलिटी लेगा और फिर आपकी कैशलैस इकोनॉमी का सपना पूरा करेगा। प्रधान मंत्री जी बड़े दुख की बात है कि आपका आज कैशलैस

21.12.2016/1320/SS/Ag/2

का सपना पूरा हो रहा है। सारे बैंक कैशलैस हैं। ए0टी0एम्ज़0 कैशलैस हैं। ईमानदार लोग कैशलैस हैं। आम इंसान कैशलैस है। सिर्फ आपके बड़े-बड़े सेठ मालामाल हैं, बाकी सारा हिन्दुस्तान कंगाल है। आप उस आदमी से अपेक्षा करते हैं जो सुबह शौच के लिए लोटा लेकर जाता है, उससे आप ए0टी0एम0 चलाने की बात करते हो। जाकर देखो से सही कि कितनी गरीबी है। लोगों की क्या हालत है और ये जो पे0टी0एम0 है इससे बड़ा स्कैंडल मेरे ख्याल में कभी नहीं हो सकता। मैं एक एग्जैम्पल देना चाहता हूं। एक 100 का नोट होता है अगर यह एक लाख बार सर्क्युलेशन में आयेगा तो उसकी वैल्यू 100 की 100 रहेगी और अगर यह थ्रू पे0टी0एम0 जायेगा, पे-टाइम जायेगा तो हर ट्रांजैक्शन में 2.5 परसैंट कट जाता है। उसका मतलब है कि एक 100 का नोट अगर 1 लाख ट्रांजैक्शन करेगा तो ढाई लाख रुपया कट जाता है। यह पैसा कहां रहा है? यह चाइनीज़ कम्पनी के पास जा रहा है।

अली बाबा और चालीस चोर, पता नहीं कितने हैं। मेरी बहन आशा कुमारी जी ने ठीक कहा, मैंने इनको देखा नहीं, पता नहीं सदन में कब आईं। ये दिल्ली से आई हैं इनको ज्यादा फैक्ट्स पता होंगे। ये तो ऐसे है कि एक किस्म की बांध लग गई हो

जारी श्रीमती के0एस0

21.12.2016/1325/**केएस/एएस**/1

श्री अजय महाजन जारी----

हिन्दुस्तान के दो प्रतिशत लोग भी नहीं होंगे जो क्रेडिट कार्डज़ को प्रॉपर ढंग से चलाते होंगे। बाकी ज्यादातर लोग पैसों के साथ ही लेन-देन करते हैं। आप सब्जी लेने जाओ एक छाबे वाली महिला जो सब्जी बेच रही होती है, क्या हम उसके साथ ए.टी.एम. और पे.टी.एम. की बात करेंगें? हम यह नहीं कहते कि इसको एन्क्रेज़ मत करो मगर आप कह रहे हैं कि सभी के ऊपर इसको लाद दें, बेचारे जो लोग अंगूठा भी नहीं लगा सकते, उन्होंने क्या मशीने चलानी है?

अध्यक्ष महोदय, कैशलैस के सम्बन्ध में दूसरी जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। The Associated Chambers of Commerce & Industry of India जिसको ऐसोचैम कहते हैं और ई.वाई. एक Multinational Professional Services जो लंदन में है, ने एक कॉमन रिसर्च में यह पाया है कि 46% साईबर क्राईम्ज़ की शिकायतें क्रैडिट/डैबिट कार्ड से सम्बन्धित है और 2017 तक 65% होने की सम्भावना है। क्या आप साईबर क्राईम्ज़ को और बढ़ाना चाहते हैं? अमर्त्य सेन जी very renowned Nobel Laureate ने कहा कि आपने एक झटके में सभी भारतीयों को चोर और धोखेबाज़ बना दिया। केवल एक तानाशाही सरकार ही लोगों की ऐसी दयनीय स्थिति कर सकती है कि करोड़ों-अरबों लोग आज अपने ही पैसे से वंचित व परेशान है। This is said by Amartya Sen 18.01.2016 के "द न्यूयॉर्क टाईम्ज़" के ऐडिटोरियल में यह कहा गया कि इंडिया में

78% ट्रांजैक्शन कैश के रूप में होती है और इस स्थिति में कैशलैस इकॉनोमी की बात करना सिर्फ मूर्खता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी लम्बी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि मेरे माननीय साथी श्री संजय रतन जी ने काफी कुछ बोल दिया है। नोटबन्दी के चलते परेशानी की मार झेल रहे लगभग 100 लोगों की जान गंवाने की खबर है। यह तो वह खबर है जो आंकड़े दिए है लेकिन इससे बहुत ज्यादा लोगों ने अपनी कीमती जान गंवाई होगी। उनके भी परिवार है, बच्चे हैं, माता-पिता है। क्या आपका हक है उनकी जान लेने का? यह सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी की ही है क्योंकि यह तुगलकी फ़रमान

21.12.2016/1325/**केएस/एएस**/2

उनकी सोच का एक नतीजा है। कहते हैं कि रोम जल रहा था और नीरो बांसूरी बजा रहा था यही हाल आज हमारे प्रधान मंत्री जी का है । लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं और वे अपनी पीठ थपथपा कर अलग-अलग जगह विदेशों में जा रहे हैं। भाषण दे रहे हैं। उन परिवारों को देखो जिनकी कीमती जानें गई है। जैसे रतन जी ने कहा कि डिलीवरीज़ लाइनों में हो रही है, अस्पतालों में एडमिशन्ज़ नहीं मिल रही। लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पाई-पाई के लिए तरस रहे हैं और प्रधान मंत्री जी विदेशों में जा कर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और जो सूट भी पहन कर जाते हैं, पता नहीं कितने लाख का होता है? ये जितनी रैलीज़ हो रही है क्या उसकी पेमैंट्स क्रैडिट काड्र्ज़ से हो रही है? कैसे पेमैंट्स हो रही है?

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

21.12.2016/1330/av/ag/1

श्री अजय महाजन--------- जारी

उनके ऊपर करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, वह पैसा कहां से आ रहा है? यह कैसी हिपोक्रेसी है? यह कैसा शासन है, यह कैसी सरकार है? आपने तो गरीबों को ढाल बनाकर अमीरों की चोरी को छिपाने का काम किया है। देश में गरीब और ईमानदार इन्सान इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करेगा। अंत में, मैं एक शेर कहना चाहता हूंः-

लफ्ज़ों में क्या बयां करें आपकी दास्तान।
आने वाला वक्त खुद इतिहास बदलेगा॥

21.12.2016/1330/av/ag/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री मोहन लाल ब्राक्टा चर्चा में भाग लेंगे।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबन्दी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे जो यहां पर प्रस्ताव लाया गया है, मैं भी उस चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं।

वैसे तो मेरे से पूर्व दोनों वक्ताओं श्री संजय रतन और श्री अजय महाजन जी ने इस पर काफी डिटेल में बातें कर दी है लेकिन फिर भी मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 8 नवम्बर, 2016 को रात 12.00 बजे के बाद जो नोटबन्दी हुई थी आज उसका 44वां दिन चल रहा है। 44 दिन के बाद भी नोटबन्दी की वजह से पूरे भारत वर्ष और हमारे प्रदेश में हा-हाकार मचा हुआ है, लोगों को जो परेशानियां हुई हैं वह अभी तक दूर होने का नाम नहीं ले रही है। बल्कि ये परेशानियां दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की जो दिन-प्रतिदिन की नई-नई नीतियां हैं और जो रोज नये-से-नये फैसले आ रहे हैं उसके बारे में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। उनका कहना है कि ये फैसले प्रधान मंत्री जी की तरह रोज नये-से-नये सूट बदलने जैसे हो गये हैं। आप सभी जानते हैं कि बैंक से एक हफ्ते के अंदर केवल 24 हजार रुपये और ए0टी0एम0 से एक समय में केवल दो हजार रुपये की राशि निकाली जा सकती है। लेकिन यह राशि भी नहीं मिल रही है। चिन्ता करने की बात तो यह है कि जिन लोगों के पास भारी संख्या में नये नोट मिल रहे हैं, वह कहां से मिल रहे हैं। इसके पीछे भी भारत सरकार की नाकामी है।

पुराने नोटों के बारे में तो मान सकते हैं कि पिछले पड़े होंगे मगर नये नोट कहां से मिल रहे हैं? इसका मतलब तो यह हुआ कि इनके लोगों की आपस में मिलीभगत है। जहां तक लोगों को होने वाली परेशानियों की बात है या मज़दूरों की बात है तो ये कई-कई दिनों तक लाइन में लगते हैं। अगर शाम तक उसकी गलती से बारी आ भी जाती है तो उस समय तक न तो बैंक में पैसा मिलता है और न ही ए0टी0एम0

21.12.2016/1330/av/ag/3

में पैसा बचता है। दूसरे उसकी उस दिन की दिहाड़ी खत्म हो जाती है। फिर वह दूसरे दिन और जाता है। इस तरह के उदाहरण रोज देखने को मिले हैं। जैसे हमें मीडिया के विभिन्न माध्यमों से पता चलता है कि इसके कारण हर जगह मारधाड़ हो रही है, बैंक कर्मियों के साथ झगड़े हो रहे हैं, लाइन में लगे दूसरे लोगों के साथ मारपीट हो रही है। मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या ऐमरजैंसी थी जिसके कारण नोटबन्दी की आवश्यकता पड़ी। इस नोटबन्दी की वजह से हर व्यक्ति परेशान है। किसान-बागवान परेशान हैं क्योंकि उनके मंडियों में पैसे फंसे हुए हैं। किसान-बागवान जब अपने पैसे लेने जाता है तो आढ़ती बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। यहां पर कैशलैस की बात की जा रही है। हमारा देश कैसे कैशलैस होगा? जहां तक हमारे प्रदेश की बात है तो यह एक पहाड़ी इलाका है और यहां पर दूरदराज का एरिया भी है। यहां पर इस वक्त तो कैशलैस कैसे हो सकता है पर इसके लिए बहुत समय लगेगा। इन सारी परिस्थितियों के कारण यह हमारे हिमाचल प्रदेश में पोसिबल नहीं है।

श्री वर्मा द्वारा जारी

21.12.2016/1335/TCV/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा ------ जारी

यह जो नोटबंदी की गई है, इससे हर वर्ग को नुकसान हुआ है। हमारे मज़दूर भाईयों के अतिरिक्त व्यापार में भी इसका फ़र्क पड़ा है। कई जगह लोगों ने उद्योग/फैक्टरियां बंद कर

दी है और लोगों को अपने घर वापिस आना पड़ रहा है। इस तरह से उनकी रोजी-रोटी छीनी गई है। इस नोटबंदी के कारण ऐसे-ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले हैं। इसके कारण टूरिज्जम इंडस्ट्री को भी काफी फ़र्क पड़ा है। जैसे ही 8 नवम्बर, 2016 को नोटबंदी हुई, वैसे ही दूसरे-तीसरे दिन मैं विधान सभा से सचिवालय की ओर जा रहा था, तो मेरा ड्राईवर कहने लगा कि आज तो रोड बिल्कुल क्लीयर है, क्योंकि नोटबंदी के कारण सारे-के-सारे टूरिस्ट यहां से चले गये थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस नोटबंदी के कारण हर क्षेत्र में नुकसान हुआ है। भाई संजय रतन जी ने ठीक ही कहा है कि नोटबंदी की वज़ह से हमारा देश लगभग एक साल पीछे चला गया है। हमारे विपक्ष के साथी इस बात को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हाऊस में इस तरह की हरकत की है और जो भी हरकत इन्होंने की है, वह निंदननीय है। जब इलैक्शन कंपेन के दिन थे, तो मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे। आज हम सभी जानते हैं कि क्या अच्छे दिन आये हैं? माननीय सदस्य श्री अजय महाजन जी ने भी ठीक ही कहा कि इन्होंने सलोगन दिया था कि 'एक बार हमें सत्ता में लाओ, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रूपये आ जाएंगे'। ये कहते थे, बेरोज़गारी दूर होगी, मंहगाई दूर होगी, लेकिन न ही बेरोज़गारी और न ही मंहगाई दूर हुई। हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख तो छोड़ो, आज हम अपने पैसे लेने के लिए ही मोहताज़ हो गये हैं। हमें अपने पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी माननीय सदस्य श्री संजय रतन जी ने कहा कि मैंने अपने ड्राईवर को 15000/- रूपये का चैक दिया था, लेकिन उसे केवल 3000/-रूपये ही मिले हैं। आज हमें अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। यह चिन्ता का विषय है। इस नोटबंदी अध्यादेश को रातों-रात लाने की क्या जरूरत पड़ी? इसके कारण हिन्दुस्तान में आर्थिक इमरजेंसी लग गई है। आज आप सभी देख रहे हैं कि

21.12.2016/1335/TCV/AS/2

लोग आज बैंकों में कतारों में लगे हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है और पैसा लेने के लिए मारधाड़ हो रही है। मैं जब सुबह विधान सभा आ रहा था, तो देख रहा था कि बैंकों के सामने हर जगह लाईनें लगी हुई हैं। अभी बैंक खुले ही नहीं थे, लेकिन अपने पैसे लेने के

लिए लोगों की लाईनें लगी हुई थी। दूसरे, इन्होंने जो 2000 रूपये का नोट छापा है, उससे भी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इसके छुट्टे मिल ही नहीं रहे हैं। यदि आपको 100 या 200 का सामान लेना होगा, तो सामान नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास छुट्टे ही नहीं है। पैट्रोल पम्पों पर ड्राईवरों के साथ मारधाड़ हो रही है, क्योंकि पैट्रोल भरने के लिए उनके पास छुट्टे नहीं हैं। इस तरह से ये जो नोटबंदी केन्द्र सरकार ने की है, यह चिन्ता का विषय है। यह जनहित में नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदन से आग्रह करूंगा कि इस नोटबंदी के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उससे केन्द्र सरकार को अवगत करवाया जाये। मैं चाहूंगा कि यह जो नोटबंदी की गई है, केन्द्र सरकार इसको वापिस लें। केन्द्र सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बन्द करने के कारण लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि लोगों को शादी के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं और लोगों को कई समस्याओं से उलझना पड़ रहा है। इन्होंने कहा था कि शादी के लिए 250 लाख रूपये मिलेंगे लेकिन उसमें भी इन्होंने कई शर्तें रखी हैं और वह शर्तें पूरी ही नहीं होती, तो फिर पैसे कहां से मिलेंगे। इसी तरह से हॉस्पिटलों में मरीज़ों को भी कई प्रकार की दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है।

श्रीमती एन0एस0----- द्वारा जारी।

21/12/2016/1340/NS/AG/1

श्री मोहन लाल ब्राक्टा -------- जारी।

मुझे कोई सुना रहा था कि आई0जी0एम0सी0 में एक महिला सारी दवाईयों की दुकानों में 1000 रूपये का नोट ले करके जा रही थी लेकिन किसी भी दुकानदार ने न तो उसको दवाई दी और न ही पुराना नोट लिया। फिर वहां पर कोई एक दानी सज्जन खड़े थे, उन्होंने उस महिला को अपनी ज़ेब से 1000 रूपया दिया तब वह महिला दवाई ले करके आई। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 1-2 दिन नहीं बल्कि आज 44वां दिन नोटबंदी का चल रहा है लेकिन नोटबंदी की वजह से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये दिन-

प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। यह एक चिन्ता का विषय है। मेरा अन्त में मान्य सदन से आग्रह है कि केन्द्र सरकार को इसके बारे में अवगत करवाया जाए ताकि नोटबंदी को केन्द्र सरकार वापिस लें। मैं "आज तक" चैनल पर न्यूज़ देख रहा था कि 428 करोड़ रूपये की राशि आयकर विभाग ने ज़ब्त की है, वह भी मैक्सिमम इन्हीं लोगों (बी0जे0पी0) के पास से मिली है। हम इस बात को भी मानते हैं कि पुराना धन लोगों ने घरों में रखा होगा लेकिन जहां तक नये धन की बात है, वह भी करोड़ों में मिल रहा है। यह एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। इतना धन कहां से आया? इस पर भी विचार करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

21/12/2016/1340/NS/AG/2

श्री कुलदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नियम-130 के अन्तर्गत "दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा की गई नोटबंदी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा बारे यह सदन विचार करें" का प्रस्ताव दिया है और मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 8 नवम्बर को एक नया शब्द सर्जिकल स्ट्राइक आया। हमने पहले भी सुना था कि सर्जिकल स्ट्राइक बोर्डर के बाहर हुआ करती है लेकिन यह सर्जिकल स्ट्राइक 8 नवम्बर को हुआ और यह सर्जिकल स्ट्राइक जनता की ज़ेबों के ऊपर हुआ है। इससे जनता बहुत परेशान है और उस परेशानी का उदाहरण यहां पर नज़र आ रहा है कि आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा ला रहे हैं और विपक्ष के सभी बैंच खाली पड़े हैं। जिससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि विपक्ष वाले हिमाचल प्रदेश की जनता की तकलीफों और परेशानियों के ऊपर चर्चा करने से घबराते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज सुबह भी आपसे व्यवस्था का प्रश्न उठा करके बात की थी कि कल भी इन्होंने Proceeding को disrupt किया और आज भी उसी तरीके से हाऊस की Proceeding को disrupt करके चले गए हैं। सही मायने में इनका यही एजैंडा था कि इस चर्चा से इन्होंने भागना था और वे भाग कर चले गए हैं। इन लोगों ने देश और प्रदेश की

जनता को जो जुमले दिए हैं वे जुमले अब सामने आ रहे हैं। अब जनता को फेस करना इनके लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि ये लोग (विपक्ष वाले) हिमाचल प्रदेश की जनता की तकलीफों के बारे में सीरियस नहीं हैं। मैं यही कहूंगा कि केन्द्र में इनकी सरकार है। अगर केन्द्र में सरकार सही होती तो ये लोग यहां पर चर्चा करते और अपनी सरकार के बारे में बताते कि ये सारे काम हमारी सरकार ने जनता के लिए किए हैं लेकिन ये लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं और जो एक बहुत निन्दनीय बात है। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। देशभक्त होने के नाते सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं लेकिन गरीबों, किसानों, मज़दूरों और आम आदमियों की

श्री आर.के.एस. द्वारा जारी।

21.12.2016/1345/RKS/AS-1

श्री कुलदीप कुमार... जारी

और कर्मचारियों की परेशानियां को उठाना देशभक्ति नहीं है तो हम इस बात को सहन करने के लिए तैयार है। जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसे ये लोग काले धन वाला कहते हैं। 8 नवम्बर को माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है इससे काला धन समाप्त हो जाएगा। काला धन समाप्त होने से आंतकवाद समाप्त होगा और देश में खुशहाली आएगी। हमारे देश में हजार और पांच सौ के नोट से 86 प्रतिशत नकदी चलती थी लेकिन जो 500 और 1000 रुपये के नोट बंद किए गए, इससे हमारे देश में बहुत तंगी पैदा हुई। खासकर गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिला वर्ग और कर्मचारियों को जो तंगी हुई इसी का ही नतीजा है कि वे अपने पैसे के लिए आज लाइनों में लगे हुए हैं। हमें संवैधानिक हक है कि हम अपनी प्रोपर्टी और पैसे को यूज कर सकते हैं लेकिन इन्होंने संविधान से भी परे जाकर एकदम हमारे ही पैसे को हमें निकालने से वंचित कर दिया। यह सबसे बुरी बात है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लाइनें बढ़ती जा रही हैं और लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। लगभग सौ से भी ऊपर लोग इस नोटबंदी के कारण खुदकुशी कर

चुके हैं। जिस व्यक्ति के घर में बेटी की शादी हो और जो पैसा उसने कमाया है, जब उसे, उस पैसे की जरूरत पड़ी तो मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक चल पड़ा। उस व्यक्ति को अपने ही पैसे से महरूम कर दिया गया और इसी वजह से लागों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी। जब हालात बिगड़ते गए तो प्रधान मंत्री जी ने यह कहा कि मुझे 50 दिन दीजिए। प्रधान मंत्री जी ने यह सब्ज़बाग दिखा दिए कि मैं 50 दिन के अंदर अच्छे दिन ला दूंगा। आज 43वां दिन चल रहा है और देश की जनता लाइनों में लगी हुई है। किसान,मजदूर और कर्मचारी वर्ग जिनको तनख्वाह मिली वे भी लाइन में लगा दिए। सब लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अभी तक हालात ठीक नहीं हुए। इतनी जल्दी तो कोई कपड़े भी नहीं बदल सकता जितनी जल्दी केन्द्र सरकार कानून बदल रही है। यह बड़े अफसोस की बात है। 43 दिन के अंदर-अंदर केंद्र सरकार लगभग 120-125 बार अपना कानून बदल चुकी है। कभी कहते हैं कि 24 हजार, कभी 4 हजार और

21.12.2016/1345/RKS/AS-2

कभी यह कहा जाता है कि 2 हजार रुपये मिलेगा। अभी यह कहा गया कि 50 हजार रुपये मिलेगा। पहले कहा गया था कि जो अढाई लाख रुपये जमा करवायेगा उसे नहीं पूछा जायेगा लेकिन पिछले कल से एक नया फरमान आ गया कि जो 5 हजार रुपये से ऊपर पैसा जमा करवायेगा उसको हिसाब-किताब देना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी और वित्त मंत्री जी कहते थे कि किस चीज़ की आपको भाग दौड़ लगी हुई है अभी आपके पास 30 दिसम्बर तक का समय है। आप अपना पैसा आराम से जमा करवाइए। लेकिन जब 30 दिसम्बर नजदीक आया तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि जो 5 हजार के ऊपर रकम जमा करवाएगा उसको बताना पड़ेगा कि यह पैसा कहां से आया। उस व्यक्ति को अपने ही पैसे के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने यह पैसा इतने दिनों से जमा क्यों नहीं करवाया? यह सरकार रोज़ नया कानून बदल रही है। मैं समझता हूं कि यह सरकार अपने ही जाल में फंस गई है।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

21.12.2016/1350/SLS-AG-1

श्री कुलदीप कुमार ...जारी

और एक झूठ को दबाने के लिए सौ झूठ बोलने की बात भी साबित हो रही है। इन्होंने पिछले लोकसभा इलैक्शन्ज में बहुत भारी प्रचार किया कि हिंदुस्तान का जो अरबों रुपया स्विस बैंक में जमा है उसको हम 100 दिन के भीतर लाएंगे और अगर ला न सके तो हमें फांसी की सजा दे देना। आज इनके 3 साल पूरे हो रहे हैं लेकिन ये उस वायदे को पूरा नहीं कर सके। ये स्विस बैंक से कोई कालाधन नहीं ला सके। परंतु आज इस बात से जनता का ध्यान हटाने के लिए ये नए-नए कानून बना रहे हैं। इन्होंने यह भी कहा था कि स्विस बैंक से काला धन लाकर 15-15 लाख रूपया हर आदमी के खाते में डालेंगे। फिर इस वायदे के बारे में कहना शुरू कर दिया कि यह तो जुमला है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि ये जो भी बात करते हैं, वह जुमला होती है। कहीं नोटबंदी की यह बात भी जुमला ही न निकले। ये तो जुमलों की ही सरकार है। पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत झूठी पार्टी कहते थे लेकिन अब हम लोगों ने कहना शुरू किया है कि यह भारतीय जुमला पार्टी है क्योंकि यह पार्टी रोज़-रोज़ कोई-न-कोई जुमला पैदा करती है।

सबसे ज्यादा परेशानी की बात क्या है? मुझसे पहले मेरे दोस्त ने यह बात कही कि पीछे शादियों और फ़सलों की बिजाई का सीजन चला हुआ था। शादियों में हम भी जहां-जहां गए, यह देखा गया। जहां मैं गया वहां भी उसी दिन शादी थी। मैंने पूछा कि आपका इंतजाम कैसे हुआ? वह कहता है कि क्या बताऊं, जिस लड़के की शादी है वह अभी लाइन में ही लगा हुआ है। कल मैं खड़ा था और आज वह खड़ा है। वह आएगा और अगर पैसे मिले तो कुछ देखेंगे। फिर मैं दूसरी जगह गया। वह टीचर था और उसकी लड़की की

शादी थी। उससे पूछा तो वह कहता है कि मेरे 5-6 कुलीग्ज हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपकी मदद कर देते हैं। वह 5-6 कुलीग्ज रोज़ लाइन में लगते हैं। फिर उनको जितना पैसा मिलता है, वह मुझे दे देते हैं। इस हिसाब से वह भी लड़की की शादी के लिए अपना ही पैसा प्रयोग नहीं कर सका। समाज में,

21.12.2016/1350/SLS-AG-2

अध्यक्ष महोदय, हर आदमी की इज्ज़त होती है जिसे बचाने के लिए वह कुछ भी करते हैं। अतः यह बहुत ही गलत फ़ैसला लिया गया है।

आज किसानों की हालत देखिए। पहले आलू मंडी में 600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा था जबकि आज मंडी में कोई 250 रुपये क्विंटल भी नहीं पूछ रहा है। छोटे-मोटे सब्जी बेचने वाले भी खाली बैठे हैं। जो गरीब लोग सुबह से शाम तक कमाकर अपने परिवार का पालन करते थे, उनका गुज़ारा भी मुश्किल हो गया है।

इस सरकार के समय में अंबानी के रिलायंस की एक नई योजना चली। ये अरबोंपति लोग हैं और इनको पहले ही पता होता है। जब यह नोटबंदी करनी थी, उससे 10-15 दिन पहले ही पे.टी.एम. और जियो चला दिया। मुझे शक है कि हिंदुस्तान की सरकार के साथ कार्पोरेट हाउसिज की मिलीभगत है। हमारे प्रधान मंत्री सबके प्रधान मंत्री हैं। वह केवल एक पार्टी के मंत्री नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मंत्री हैं। लेकिन वह केवल एक पार्टी की तरफ या फिर कार्पोरेट की तरफ देखते हैं। रिलायंस ने जब जियो चलाया तो वहां पर एडवर्टाइजमैंट देने के लिए प्रधान मंत्री की फोटो लगा दी। इससे जनता के दिमाग में शक पैदा होता है। आज जो कार्पोरेट हाउसिज हैं, उनका 8000 करोड़ रुपये का लोन माफ कर दिया जबकि गरीबों को अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगाकर रख दिया है। विजय माल्या का जो 12000 करोड़ रुपये का लोन था वह उसे लेकर भाग गया या उसको भगा दिया गया। वह इतना बड़ा आदमी था और एम.पी. भी था। वह कैसे भाग गया। उसके

ऊपर इस देश का 12000 करोड़ रुपये का लोन था। यह सब मिलीभगत के कारण है। आज तक ये उसको नहीं ला सके।

जारी ..श्री गर्ग जी द्वारा

21/12/2016/1355/RG/AG/1

श्री कुलदीप कुमार ---क्रमागत

इनकी यह बात है कि गरीबों से खींचो और अमीरों को सींचो। गरीबों से पैसे इकट्ठे करके अमीरों के लोन माफ करने की बात हो रही है। अगर ये सही मायने में गरीबों और किसानों के हितकारी होते, तो कोऑपरेटिव बैंकों में पैसे देना बंद न करते। आज इन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों में भी पैसे देने बंद कर दिए हैं। आज हर किसान कोऑपरेटिव सोसायटी से संबंधित है, हर गांव में लोग कोऑपरेटिव सोसायटीज से पैसे लेते हैं और अपना गुजारा चलाते हैं, लेकिन उनसे भी इन्होंने लेन-देन बिल्कुल ही बंद कर दिया है। यहां पर ठीक कहा गया कि इस सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय नसबन्दी का कार्यक्रम चला था। नसबन्दी देश हित के लिए बहुत अच्छी थी और जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना थी। लेकिन उसका क्रियान्वयन गलत था और क्रियान्वयन गलत होने के कारण कांग्रेस पार्टी की वोटबन्दी हो गई। लेकिन आज यह नोटबन्दी चला दी है। क्योंकि नोटबन्दी बिल्कुल बिना तैयारी के की गई है इसलिए अब इनकी भी वोटबन्दी होने जा रही है। आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, तो जनता इन्हें बता देगी कि इन्होंने नोटबन्दी की और जनता इनकी वोटबन्दी करेगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो दूसरे देश हैं, कई देशों ने अभी हाल में नोटबन्दी की। लेकिन वहां यह कामयाब नहीं हुई। अभी हाल में 5 दिसम्बर को वेनेजुएला में भी नोटबन्दी की गई, लेकिन वहां एक हफ्ते के अन्दर-अन्दर वह फैसला वापस लिया गया। जो वहां डिक्टेटर थे उन्होंने देखा कि इससे जनता को परेशानी हो रही है, तो उन्होंने एक हफ्ते के अन्दर अपना फैसला वापस ले लिया। लेकिन यहां पर सौ से अधिक व्यक्तियों की इस नोटबन्दी से मृत्यु हो गई और 43 से अधिक दिन जनता को लाईन में लगे हुए हो गए हैं, कहते हैं कि यहां तो प्रजातंत्र है। तो किस बात का प्रजातंत्र है, दूसरे देश का एक

डिक्टेटर जनता की परेशानी को देखते हुए अपना फैसला वापस ले रहा है, लेकिन यहां तो डिक्टेटर से भी ऊपर चले गए और इस फैसले के लिए वे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा फैसला लिया है, लेकिन ये जनता सब जानती है। जब जनता का समय आएगा, तो इसका बदला वह लेगी।

21/12/2016/1355/RG/AG/2

अध्यक्ष महोदय, इस नोटबन्दी से जो हालात पैदा हुए हैं वे बहुत खराब हैं। आज उद्योग बंद हो गए हैं और उसके बाद बेरोजगारी फैल रही है। 'दि टाईम्ज ऑफ इण्डिया' के मुताबिक 43.68 लाख लोग असंगठित क्षेत्र में बेरोजगार हुए हैं। आज कई उद्योग बंद होने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ मझोले व्यापारियों का कारोबार बिल्कुल ठप्प हो गया है जिससे बेरोजगारी बहुत हद तक बढ़ रही है। इसके साथ ही बहुत सा काला धन भी मिला है। जो छापे पड़े उनमें करोड़ों रुपये की नई करेंसी मिली। हैरानी की बात है कि गरीब आदमी को अपने 2,000/-रुपये नहीं मिल रहे हैं और कई लोगों के घरों में करोड़ों रुपये मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सुनाऊं कि नोटबन्दी के बाद मेरी जेब में 16,000/-रुपये थे जो मैंने बैंक में जमा करा दिए। अब हमारे खर्चे के लिए कोई पैसा नहीं बचा। बैंक से हमने कहा कि हमें अपने खर्चे के लिए तो कुछ पैसे दे दो, तो वे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरे दिन आना। दूसरे दिन गए, तो कहते हैं कि 5,000/-रुपये मिलेंगे और वह भी हमारे ऊपर बहुत ऐहसान किया। कहता है कि मैं पुराने नोटों से कुछ चलने वाले कुछ नोट निकाल देता हूं और आप 5,000/-रुपये ले जाओ। अब जमा मैंने 16,000/-रुपये कराया और उन्होंने मात्र 5,000/-रुपये दिए। जब हम फिर गए, हमने कहा कि 24,000/-रुपये दे दो, तो कहते हैं कि 10,000/-रुपये ले जाओ। मैंने कहा कि 10,000/-रुपये क्यों ले जाओ? फिर जब उसने कम्प्युटर में 24,000/-रुपये फीड किया, तो उनका कम्प्युटर नहीं उठा रहा था। कहते हैं कि आपने 5,000/-रुपये पहले ले लिए, इसलिए अब 19,000/-रुपये ही मिल सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने पैसों के लिए भी भिखारी बनना पड़ रहा है और अपने पैसों के लिए भी इन्होंने हमें लाईन में लगाकर रख दिया है। यहां जो नए नोट मिले हैं जितने नोट कब्जे में आए हैं, मैं इन पर आरोप लगाता हूं कि

जितने नए नोट मिले, वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास क्यों मिले? यह एक कनाइवेंस थी, इनको पता था और नोट तो मिले

एम.एस. द्वारा जारी

21/12/2016/1400/MS/AG/1

श्री कुलदीप कुमार जारी------

ही लेकिन कई जगह प्रूफ दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में भूमि खरीदी है यानी 8 तारीख से पहले-पहले इन्होंने भूमि खरीदी और वहां पर अपना कालाधन इन्वैस्ट किया। गुजरात के एक व्यक्ति के पास लगभग 13 हजार 860 करोड़ रुपये मिले और एक दिन वह जेल में भी रहा। ..(व्यवधान)..वह व्यक्ति भी शाह ही है जिसके पास यह पैसा मिला। ..(व्यवधान)..केजरीवाल जी ने तो सीधा आरोप लगाया कि अमित शाह के ये पैसे हैं और यह उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त है। उस व्यक्ति ने ऐसा स्वयं कहा कि यह राजनीतिज्ञों का पैसा है जिसको जमा करने के लिए मुझे कहा गया था। मैंने तो इस पैसे पर कमीशन लेनी थी लेकिन अब वे पीछे हटकर मुकर गए हैं। यह गुजरात की बात है और ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वहां जितना भी धन पकड़ा गया है वह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ही पकड़ा गया है। बड़े अफसोस की बात है कि देश की जनता 43 दिनों से अपने पैसों के लिए लाइनों में लग रही है लेकिन केन्द्र सरकार अंधी और बहरी बनी हुई है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े अफसोस की बात है कि जब इन्होंने स्कीम चलाई उस वक्त एक ही बात कही कि हम काला धन निकाल कर रहेंगे। इससे आतंकवाद खत्म होगा और खुशहाली आएगी लेकिन धीरे-धीरे अब इन्होंने कैशलैस की बात करना शुरू कर दी है। कश्मीर में आतंकवाद अभी भी उसी तरह से चल रहा है लेकिन अब लोगों का ध्यान बांटने के लिए बात आ गई है कि हम कैशलैस इकॉनोमी चाहते हैं। अब Paytm खरीदो। अब Paytm में भी हो सकता है कि इनकी हिस्सेदारी रिलायंस के साथ हो। मैं गांव के गरीब लोगों के बारे में बताना चाहता हूं। कल एक टी0वी0 चैनल पर गरीब मजदूर जो दिहाड़ी पर काम कर रहे थे उनसे चैनल वाले पूछ रहे थे कि Paytm क्या

होता है। वे मजदूर कह रहे थे कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि आप धन कहां जमा करवाते हैं? तो वे कह रहे थे कि धन होगा तब तो जमा करवाएंगे। उनको जो दिहाड़ी

21/12/2016/1400/MS/AG/2

मिलती है उससे उनके परिवार का गुजारा होता है। वे कहां से Paytm या स्वैप मशीन चलाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। हिन्दुस्तान में 94 प्रतिशत जनता कैश के साथ डील करती है और 6 प्रतिशत लोग ऑनलाइन पेमैंट करते हैं। तो हमारी केन्द्र सरकार किसको इन्सेंटिव दे रही है? हररोज ही केन्द्र सरकार कोई-न-कोई इन्सेंटिव दे रही है। इन्सेंटिव उनको दे रही है जो ऑनलाइन पेमैंट करेंगे। कहते हैं कि बीमारी पेट दर्द की है और इलाज सिर दर्द का हो रहा है। जो ऑनलाइन पेमैंट करते हैं उनको इन्सेंटिव दिए जा रहे हैं। कहते हैं कि जो ऑनलाइन डील करेंगे उनको इतना रिबेट मिलेगा। अब कल इन्होंने कह दिया कि जो ऑनलाइन पेमैंट करेगा उसको टैक्स में 2 प्रतिशत छूट मिलेगी। अब जो मर रहे हैं वे गरीब मजदूर, कर्मचारी, महिला वर्ग और गांव के लोग हैं। लेकिन जो पहले ही ऑनलाइन पेमैंट करते हैं वे इनके दोस्त हैं और उनको ये इन्सेंटिव दे रहे हैं। मैं हैरान हूं कि ये किन बातों के बारे में बोल रहे हैं। यह जो सारा फैसला लिया गया है यह बिना सोचे-समझे और बिना तैयारी से लिया गया है क्योंकि यहां जितने भी ए0टी0एम0 थे उनमें 2,000/-रुपये का नोट फिट ही नहीं बैठता था और इन्होंने यह नोट शुरू कर दिया। यह सामने प्रमाण है कि इनकी तैयारी कुछ नहीं थी। किसी अर्थशास्त्री ने कहा कि जो हमारे लगभग 14-15 लाख करोड़ रुपये चले गए यानी 86 प्रतिशत की करंसी चली गई, उसको तैयार करने के लिए जितने हमारे प्रिंटिंग प्रैस हैं, जिनमें नोट छपते हैं उनमें लगभग 9-10 महीने उसको पूरा करने के लिए लगेंगे। वह गैप 50 दिन में पूरा होने वाला नहीं है। इसी करके ये हररोज़ नये से नया कोई-न-कोई कानून बना रहे हैं ताकि लोग उस तरफ चले और कैश की डिमाण्ड कम हो। तो ये जो चीजें हैं

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

21.12.2016/1405/**जेके/एएस**/1

श्री कुलदीप कुमार:-----**जारी**------

अध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्र सरकार का फैसला है वह बिना सोचे-समझें, बिना तैयारी से लिया गया है। हमारे देश की जनता को इन्होंने बहुत ही तकलीफ में डाल दिया है। जिस तरह से नसबन्दी का हाल हुआ था और उस नसबन्दी का बदला लोगों ने वोटबंदी में दिया था उसी तरह से यह नोटबन्दी का बदला भी इनको वोटबन्दी से ही मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद

21.12.2016/1405/**जेके/एएस**/2

अध्यक्ष: अब श्री राम कुमार जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें।

श्री राम कुमार: अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत हमारे साथी संजय रतन जी, अजय महाजन जी और मोहन लाल ब्राक्टा जी ने जो चर्चा आज सदन में लाई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि पूरे देश से सम्बन्धित है। जो एक तुगलकी फ़रमान की तरह भारत के प्रधान मंत्री श्री मोदी जी ने देश के ऊपर फैसला थोपा है, अच्छा होता अगर नोटबन्दी करने से पहले पार्लियामैंट में इसकी चर्चा की जाती। पूरे भारतवर्ष से जो सांसद चुन करके गए हैं उन माननीय सांसदों से इसकी राय ली जाती कि क्या नोटबन्दी करना देश हित में है या नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इतने थिक पॉपुलेटिड देश में इस तरह का कानून एकदम से थोप देना कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकता । आज 43वां दिन है और इसके परिणाम धीरे-धीरे भयंकर होते जा रहे हैं। देश के 12 प्रतिशत लोग वे हैं जिन्हें आटे, नमक और दाल का भाव भी पता नहीं है, जो कि मोदी के मित्र हैं । अम्बानी, अदानी सरीखे लोग वे उसमें शामिल हैं। लेकिन देश की 15 प्रतिशत आबादी जो केवल वह आबादी है जो रोज़ कमाती है और रोज़ शाम को अपना आटा,नमक, दाल उसी पैसे से दिहाड़ी लगा करके खरीदते हैं, वे इससे प्रभावित हुए हैं। मैं ऐसे क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूं जहां पर पूरे भारतवर्ष के लाखों लोग अपनी आजीविका कमाने के लिए वहां पर आए हैं। आज 43वां दिन होते हुए भी आज रोज़ हम

देखते हैं कि बद्दी में जितने भी ए0टी0एम0 लगे हैं, लगभग तीन-चार हजार लोग रोज़-ब-रोज़ ए0टी0एम0 की कतार में लगे होते हैं। शुरू-शुरू में तो ऐसा हुआ कि लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हुआ। जिन लागों ने उनको मकान किराए में दिए हुए हैं उन मकानों का किराया मज़दूरों के पास देने को नहीं है। इसके दुष्प्रभाव पूरे देश के साथ-साथ हिमाचल के बद्दी में सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार इस बल पर बनाई थी कि कांग्रेस ने काला धन विदेशों में जमा करवाया है। आज मोदी सरकार को बने हुए काफी समय हो गया है लेकिन इतने समय में क्या एक भी मामला ऐसा आया है जो किसी कांग्रेसी नेता का

21.12.2016/1405/**जेके/एएस**/3

काला धन वे लाए हैं? ऐसा कोई मामला नहीं आया है। लोगों को गुमराह करके, लोगों को बेवकूफ बना करके, लोगों को सपने दिखा करके वे सत्ता में आए और एक तुगलकी फ़रमान की तरह लोगों को क्रश करने का काम मोदी जी ने किया। मैं इसकी भरसक भर्त्सना करता हूं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज हमारे भारतवर्ष की गृहणियां, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा धन जमा करके, क्योंकि हमारा घर हमारी गृहणियां चलाती हैं, उन्होंने थोड़ा-थोड़ा धन इकट्ठा करके अपना घर चलाने के लिए किसी ने 20 हजार, 30 हजार और किसी ने 50 हजार अपनी-अपनी हैसियत के हिसाब से जमा किया था। मेरा मोदी जी से प्रश्न है, भारत सरकार से प्रश्न है कि क्या जिन गृहणियों के पास अपना पैसा है क्या वह काला धन है? नहीं, उन्होंने अपनी नेक कमाई से वह पैसा कमाया है। पता नहीं कितने सालों से उन्होंने तिनका-तिनका इकट्ठा करके अपने खर्चे के लिए जमा किया है। उनके साथ भी मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है। जहां तक शादियों की बात है बहुत

सारे मामले आप टी0वी0 में भी रोज़ देख रहे हैं और प्रैक्टिकली भी देखने में आया है कि जिनके घरों में शादियां थी उनको एक तरह से आफ़त आ गई।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

21.12.2016/1410/SS/AS/1

श्री राम कुमार क्रमागत:

जो अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी या बेटे की शादी करना चाहते थे, उसे वे नहीं कर पाए। इसमें बहुत लोगों ने आत्मदाह किये। बहुत से लोगों ने उधार मांग कर वे शादियां अरेंज कीं जिसके पास अपना धन है। ये तो मैं समझता हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन माननीय मोदी जी ने किया है क्योंकि हमारे देश में जो हमारा संविधान बना है उसके तहत हमें कमाने का हक है। हमें खाने का हक है और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ऊपर पैसा खर्च करने का हक है। वह हक पूरे देशवासियों का माननीय मोदी जी ने नोटबंदी करके छीन लिया है क्योंकि आप कैसे किसी आदमी पर रोक लगा सकते हैं कि वह अपने ऊपर एक सप्ताह में केवल 24 हजार रुपया ही खर्चे। आप कैसे कह सकते हैं कि वह सिर्फ 4 हजार रुपया ही खर्च करे। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने यह बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों के साथ किया है। आज देश के लाखों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, बेघर हो गये हैं। आप जाकर देखिये जहां हमारे कोल की खानें हैं या ऐसी-ऐसी जगह मजदूर काम करते हैं जहां दो-दो साल तक वे अपने घर या प्रदेशों को वापिस नहीं जा सकते हैं। वे मजदूर जो अपनी नकदी कमाते हैं उन्होंने उसे बांस के बैम्बू में जमा करके रखा है। उनके बैंक में खाते नहीं हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर बैंक सुविधा उपलब्ध नहीं है। भारतवर्ष जैसे जनसंख्या वाले देश में सम्भव नहीं है कि हर काम चैक के माध्यम से किया जाए या कार्ड से किया जाए। आज हम सब्जी खरीदने जाते हैं या बाज़ार स कोई सामान लेने जाते हैं तो कोई आपका चैक एक्सैप्ट नहीं करेगा क्योंकि

उसको नकदी चाहिए। आज पूरा व्यापार चरमरा गया है। मैं समझता हूं कि जिस दिन नोटबंदी हुई तो उस दिन डॉलर की कीमत 60 रुपये थी लेकिन आज वह 75 रुपये है। रुपये की वैल्यू कम हो रही है। रुपये की वैल्यू कम होना किसी भी देश के हित में नहीं है। जिन-जिन देशों ने नोटबंदी की उनकी हालत खराब हुई है। यह आपके सामने प्रैक्टीकल देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के मजदूर एक वक्त की रोटी खाने को तैयार हैं। बद्दी में हमारे बहुत लोगों ने लंगर लगाये हैं। मैं प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे

21.12.2016/1410/SS/AS/2

मजदूर जो बाहर से आए हैं जिनको मोदी सरकार की वजह से पैसे नहीं मिल रहे हैं उनके लिए लंगरों का प्रबंध एरियावाइज किया जाए जोकि बैंकों में पैसे लेने के लिए लाइन में लगे हैं या जो रोज़ की मजदूरी करते थे उनको आज मजदूरी नहीं मिल रही है। कंस्ट्रक्शन के काम बंद हो गये हैं। लोगों का ट्रांसपोर्ट का धंधा प्रभावित हुआ है क्योंकि हम देखते हैं कि बद्दी में एशिया की सबसे बड़ी यूनियन है। आज ड्राईवर लोग गाड़ी लेकर जाने से कतरा रहे हैं क्योंकि उनको खर्चा करने के लिए नकदी चाहिए। डीजल डलवाने के लिए पैसा चाहिए। रोटी खाने के लिए उनको पैसा चाहिए। जो बैहती या राहदारी बैरियर पर पैसे कटने हैं उसके लिए नकद नई करंसी चाहिए। नई करंसी का प्रबन्ध किये बिना मैं समझता हूं कि एक अव्यवस्था के तहत मोदी सरकार ने कदम लिया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इस सदन में जो चर्चा हमारे माननीय सदस्यों ने लाई है यह बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रदेश में जो हमारे भाजपा के नेता हैं जैसे मुझ से पूर्व हमारे साथियों ने कहा कि पूरे देश में जब नोटबंदी हुई तो इससे पहले भी फेक नोटस भारतवर्ष में चलित थे और नोटबंदी के एकदम बाद हमारे बॉर्डर्ज़ पर जितने भी नए नोटस बरामद हुए हैं वे सारे के सारे भाजपा से संबंधित लोगों के थे। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आप कालाधन खत्म करना चाहते थे तो आपने 1000 की जगह 2000 का नोट क्यों चालू किया? क्योंकि वह सरमायेदार लोगों के लिए किया गया कि उनको कैरी करना आसान हो जाए। उसकी थिकनैस कम की गई ताकि उसकी फैलावट कम हो जाए। अगर आपने देखा हो तो जहां एक लाख के नोटों की जितनी फैलावट बनती थी वहां पर आज दो लाख के नोटों की उतनी फैलावट बन गई है। ये टैक्निकल चीज़ें हैं। मैं मोदी

जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 500 और 2000 के नोट चालू किये तो पहले मार्किट में 2000 का नोट क्यों भेजा? क्योंकि वह 500 का नोट जो उनके सरमायेदार थे, जो बड़े-बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने उसे एक्सचेंज के लिए यूज किया। आज अम्बानी ने जो जियो फ्री किया उससे हज़ारों-लाखों आई0डीज़ इकट्ठी की गईं। शुरू-शुरू में इन्होंने कहा कि एक आई0डी0 के तहत चार हजार रुपया तबदील कर सकते हैं लेकिन जो हमारे देश के अनपढ़ लोग हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर आई0डीज़0 इकट्ठी करके सीधे चैस्ट से पैसा एक्सचेंज किया

जारी श्रीमती के0एस0

21.12.2016/1415/**केएस/एजी**/1

श्री राम कुमार जारी....

और मोदी जी के जितने सरमायेदार थे, अपने निजी लोग थे, उनका पैसा वहीं से ट्रांसफर हो गया। कहां से आए लाखों-करोड़ों रुपये के नए नोट जो कि आज बरामद हो रहे हैं? यह उसी का नतीज़ा है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा है । अभी मैं देख रहा था कि हमारे माननीय विपक्ष के नेता खुश हो रहे थे कि आज चंडीगढ़ में हमने 20 सीटें जीत ली है। मैं इस माननीय सदन में कहना चाहूंगा कि चंडीगढ़ में लगभग 80 प्रतिशत लोग बाबू केटैगरी के हैं। उनको इस बात का दुःख था कि साल की एक महीने की तनख्वाह हमारी इन्कम टैक्स में जाती है और आम लोग टैक्स नहीं देते हैं । उनकी समझ से मोदी जी ने अच्छा काम किया इसलिए उन्होंने उनको इसका परिणाम दिया। लेकिन हमारे जो विधान सभाओं के चुनाव आने वाले हैं,चाहे पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या अन्य राज्य हैं, उनमें इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जैसे कुलदीप कुमार जी ने कहा कि न से नोटबन्दी और न से नसबन्दी। नसबन्दी ने हमारी पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की सरकार को धूल चटाई थी और मैं समझता हूं कि नोटबंदी के परिणाम मोदी जी के लिए भी भयंकर होने वाले हैं। लोग इनको भी धूल चटाने वाले हैं।

अध्यक्ष जी, मैं इस हाऊस से मांग करता हूं कि 8 नवम्बर, 2016 के बाद प्रदेश में जमीन की जितनी खरीद-फ़रोख्त हुई है, उसकी विजिलैंस इन्क्वायरी की जाए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों ने, यहां तक कि ट्राईबल एरियाज़ में भी जमीने खरीदी हैं इसलिए मैं मांग करता हूं कि उन लोगों की जांच करवाई जाए। जो दो नम्बर का काला धन उनके पास था वह उन्होंने जमीनों पर खर्च किया है इसलिए मैं इसकी विजिलैंस इन्क्वायरी की हाऊस से मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अस्पतालों में खरीद-फ़रोख्त की कमी आई है। डेढ़ सौ हजार करोड़ का पूरे देश में व्यापार का घाटा हुआ है। जो बिल रोज़ कटने थे, रोज़ लोगों ने अपना आदान-प्रदान करना था, उसमें वैट का और हमारे जो टैक्सिज़

21.12.2016/1415/**केएस/एजी**/2

थे, वह सरकार का लॉस हुआ है और इस नोटबन्दी से नए नोट प्रिंट करने का जो खर्चा है वह भी लगभग डेढ़ सौ हजार करोड़ का होगा तो यह भी सीधा हमारी जनता के धन का लॉस हुआ है। इसे भी सदन को ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से आने वाला समय देश के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इस नोटबंदी ने पूरे देश में पूरे व्यापार को चरमरा दिया है। जो छोटा उद्योग है, ,खुदरा उद्योग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि वह टोटल नगदी में चलने वाला काम था। आज नगदी का अभाव पूरे देश में है। आज आपने देखा कि पिछले दिनों मोदी जी का यू.पी. का दौरा था। यू.पी. में उन्होंने नोटों से भरी वैने उस एरिया में पहुंचा दी ताकि उसका हल्ला न हो। यह केवल यू.पी. में किया गया। अन्य जगह अभी नोट पूरे नहीं पहुंचे हैं। लोगों को हक नहीं है कि वे अपना पैसा खुद पर खर्च करें।

अध्यक्ष महोदय, पंजाब क्षेत्र में भी ये लोग इसी तरह का काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में भी इन्होंने यही काम किया। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इस सदन में जो चर्चा आई है, जो हमारे गरीब लोग हैं उनके खाने-पीने का प्रबन्ध या तो प्रदेश सरकार की तरफ से किया

जाए या सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से लंगरों का आयोजन क्षेत्रवार किया जाए ताकि हमारे मज़दूर लोगों को रोटी मिल सके। इस नोटबन्दी के भयंकर परिणाम के लिए मोदी सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

21.12.2016/1415/**केएस/एजी**/3

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगें और उसके बाद चर्चा समाप्त हो जाएगी।

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत श्री संजय रतन, श्री अजय महाजन, श्री मोहन लाल ब्राक्टा, श्री कुलदीप कुमार तथा राम कुमार, माननीय विधायकों ने एक महत्वपूर्ण मामला इस माननीय सदन में उठाया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी...

21.12.2016/1420/av/ag/1

मुख्य मंत्री जारी

अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा का उत्तर देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संसार में कई ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने इससे पहले डीमोनेटाईजेशन करने के लिए कदम उठाये थे और उनका क्या हश्र हुआ। नाइजीरिया में वर्ष 1984 में डीमोनेटाईजेशन किया गया and the country did not take change well and economy collapsed. घाना में वर्ष 1982 में डीमोनेटाईजेशन किया गया और वहां भी यही हश्र हुआ। उसके बाद चीन में वर्ष 1982 में डीमोनेटाईजेशन हुआ और उसका नतीजा भी खतरनाक रहा तथा उसे बाद में उस निर्णय को बदलना पड़ा। जिम्बाबे में हुआ और नॉर्थ कोरिया में वर्ष 2010 में डीमोनेटाईजेशन हुआ। सोवियत युनियन और ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे चेंजिज लाए गए तथा वहां पर प्लास्टिक के

नोट जारी किए गए मगर वह प्रयोग असफल रहा। म्यांमार में जिसको आप पहले बर्मा कहते थे, वहां वर्ष 1987 में ऐसा हुआ और the above countries had not good experience of demonetisation of currency. Barring Australia their economies collapsed. The Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, who is supporting Shri Modi's Government in India, though he does not belong to BJP, is heading the 13 Member Central Committee to look into the demonetization issue and is opposing demonetisation. Dr. Manmohan Singh, our revered former Prime Minister, has condemned demonetization as monumental mismanagement. Prof. A.K. Sen, who is a Nobel Laureate, has termed demonetization a despotic action by the Prime Minister. This is something I wanted to bring to the notice of this august House.

नियम 130 के अंतर्गत जो मामला उठाया गया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि 'दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा की गई नोटबन्दी से प्रदेश की जनता को हो रही असुविधा पर यह सदन विचार करें'; यह प्रस्ताव चर्चा उठाने हेतु सदन के सामने है।

21.12.2016/1420/av/ag/2

मैं इस बारे में अपनी कुछ और टिप्पणियां देना चाहूंगा। दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद करने के कारण प्रदेश में नोटों की कमी की वजह से लोगों को रोज़मर्रा की खरीद-फरोख्त करने में, विवाह आदि बड़े आयोजनों को निपटाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक और ए0टी0एम्ज0

श्री वर्मा द्वारा जारी

21.12.2016/1425/TCV/AS/1

के बाहर लम्बी कतारों में खड़े रहने के बावजूद भी बैंकों से पर्याप्त मात्रा में धनराशि न मिलने से आम जनता को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह विषय जनहित का है और इस पर सदन में चर्चा करवाना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को केन्द्र सरकार द्वारा घोषित नोटबन्दी के उपरान्त आज तक हिमाचल प्रदेश में स्थित विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 1730 करोड़ रूपये आम लोगों में वितरित किए जा चुके हैं तथा लोगों द्वारा कुल 6562 करोड़ रूपये, 500 और 1000 रूपये के नोटों के रूप में जमा करवाए गए हैं।

नोटबन्दी के कारण किसानों, व्यापारियों, ट्रांस्पोर्टरज तथा आम जनता को हुई कठिनाईयों का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

प्रचलित हालात से संकेत मिलता है कि करंसी नोट की नोटबंदी के परिणामस्वरूप कृषि विपणन मंड़ियों, थोक और खुदरा व्यापारियों का कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। 500/- व 1000/- रूपये के नोटों की कमी के परिणामस्वरूप छोटे किसानों के उत्पादों की खरीद-फरोख्त काफी प्रभावित हो रही है। प्रदेश से मौसमी सब्जियों व फलों की आपूर्ति राज्य से सटे राज्यों की मण्डियों जैसे पंजाब व नई दिल्ली इत्यादि में की जाती है तथा अधिकतर लेन-देन नकद रूप में होता है। मंडियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सब्जियों के थोक विक्रेता सब्जियों के लेन-देन में चैक इत्यादि जारी करने में परहेज कर रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदेश में सब्जी व फलों की आपूर्ति की अत्याधिक कमी महसूस की जा रही है। इस सब के मद्देनज़र छोटे खुदरा विक्रेताओं ने इन खरीदों को स्थगित कर दिया है। जब हौलसैलर्ज ही मंडियों में माल को खरीदने से गुरेज कर रहे हैं तो बेचारा किसान कहां जाएगा और किस मंडी में जाकर अपने माल को बेचेगा? इसकी वज़ह से हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और हो रहा है।

21.12.2016/1425/TCV/AS/2

सामान्य व्यापार के खुदरा विक्रेताओं को भी नोटबंदी के कारण हानि उठानी पड़ रही है। लोगों को कम मात्रा में मुद्रा का मिलना इसका कारण माना जा रहा है। जो मुद्रा उन्हें प्राप्त हो रही है, उसे वे अत्याधिक आवश्यक जरूरतों पर ही खर्च कर रहे हैं, परिणामस्वरूप अनावश्यक खरीद को लोग नज़र अंदाज़ कर रहे हैं। इससे खुदरा व्यापारी विशेष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

श्रीमती एन0एस0 द्वारा --- जारी।

21/12/2016/1430/NS/AS/1

मुख्य मंत्री-------क्रमागत।

मुद्रा की कमी के प्रचलित हालात के परिणामस्वरूप बैंक खुदरा व्यापारियों को भारत सरकार की निर्धारित सीमा से भी कम मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवा पा रहे हैं। परिणामतः लोग मुद्रा प्राप्त करने हेतु लाईनों में लगे हुए हैं। उपभोक्ताओं को अधिकतर 2000 रूपये के नये नोट ही उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिसे छोटे दुकानदार नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके पास छोटी करंसी की अत्याधिक कमी है।

परिवहन ऑपरेटर यूनियनों के अनुसार नोटबंदी के कारण उनके वाहनों की आवाज़ाही भी प्रभावित हो रही है क्योंकि मौजूदा प्रतिबंध के कारण एक प्रतिबंधित तरीके से खुदरा विक्रेताओं के लिए मुद्रा प्रदान करने में वे सक्षम नहीं हैं। उनका मानना है कि अधिकतर 2000 रूपये के नोट उपलब्ध होने के कारण उन्हें छोटे नोटों में परिवर्तित करवाना भी काफी कठिन हो रहा है। छोटे व्यापारी बड़े नोट को नहीं ले रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आते हैं जिस कारण प्रदेश के कई टैक्सी मालिक अपनी आजीविका चलाते हैं। नोटबंदी के कारण उनके कारोबार को भी क्षति पहुंची है क्योंकि उनका अधिकतर व्यापार नकद होता है तथा नकदी की कमी के

कारण उनका व्यापार काफी प्रभावित हो चुका है। मुद्रा की कमी से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी बैंक कुशलतापूर्वक भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उनका जो प्रयास है वह काफी नहीं है। इससे ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। ज्यादा उदारता दिखाने की आवश्यकता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों का ब्यौरा इस प्रकार से है :-

स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिव, हि0प्र0 द्वारा दिनांक 15.11.2016 को ली गई जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) व

21/12/2016/1430/NS/AS/2

अन्य अधिकारीगणों ने भाग लिया तथा नोटबन्दी से उत्पन्न कठिनाईयों से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने हेतु निर्णय लिये गये। इन निर्णयों की अनुपालना हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) द्वारा समय-समय पर monitoring की जा रही है।

आम जनता की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने हैलिकॉप्टर द्वारा प्रदेश के पिछड़े व दुर्गम इलाकों में स्थानीय लोगों को राहत प्रदान करने हेतु नए करंसी नोटों को पहुंचाने का सफल प्रयास किया। हमने सरकारी हैलीकॉप्टर के माध्यम से दूर-दराज़ के इलाकों में करंसी को पहुंचाया ताकि वहां पर लोगों को कुछ राहत मिल सके।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने भारतीय रिजर्व बैंक व राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से निरन्तर समन्वय बनाए रखा ताकि प्रदेश की जनता को नए करंसी नोट आसानी से प्राप्त होते रहें।

भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया कि प्रदेश के पहाड़ी राज्य की दुर्गम कठिनाईयों के मध्यनज़र प्रति सप्ताह नई करंसी पर 24000 रूपये की लिमिट को तुरन्त हटा दिया जाए।

इसी प्रकार यह भी अनुरोध किया गया कि विवाह उत्सव की लिमिट को 2.5 लाख रूपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रूपये कर दिया जाए।

यह भी अनुरोध किया गया है

श्री आर.के.एस. ------जारी।

21.12.2016/1435/RKS/AS-1

मुख्य मंत्री..... जारी

की प्रदेश में यदि कोई प्राकृतिक आपदा जैसे अग्निकांड या अन्य कोई दुर्घटना होती है तो पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा बांटने के लिए किसी प्रकार की लिमिट न रखी जाए। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में आम लोगों द्वारा जमा की जाने वाली फीस, टैक्स इत्यादि को जमा करने के लिए बैंकर चैक या ड्राफ्ट द्वारा जमा करने की छूट दी जाए जिससे लोगों को नकद राशि प्राप्त करने हेतु होने वाली परेशानी से बचाया जा सके।

इसके अतिरिक्त इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बैंक द्वारा उठाए जा रहे कुछ कदमों का ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

विभिन्न बैंको की करंसी चैस्ट शाखाओं में नई मुद्रा की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक, चण्डीगढ़ से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं। कतार में खड़े ग्राहकों की नकदी की अधिकतम आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन बैंको की करंसी चैस्ट शाखाएं अपनी सभी लिंक्ड सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखाओं, कॉओपरेटिव बैंकों व डाक घरों को नियमित रूप से नकदी की आपूर्ति कर रही है।

राज्य के बैंकों में पर्याप्त नकदी की आपूर्ति बनाए रखने के मामले को भारतीय रिज़र्व बैंक व भारत सरकार के साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए बैंक शाखाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कतार का प्रावधान किया गया है।

नए करंसी नोटों को उपलब्ध करवाने के लिए सभी ए.टी.एमज को रिकैलिबरेट किया जा रहा है तथा बैंक इन ए.टी.एमज को चालू रखने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। अभी तक राज्य में उपस्थित 1894 ए.टी.एमज में से 1501 ए.टी.एमज को रिकैलिबरेट किया जा चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों से भुगतान करने के लिए बैंकों के कारोबार संवाददाताओं(BCAs) को माइक्रो ए.टी.एम. प्रदान किए जा

21.12.2016/1435/RKS/AS-2

रहे हैं। आम जनता की नकदी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (BCAs) जैसे अस्पतालों व सरकारी कार्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी माइक्रो ए.टी.एम. लगाए जा रहे हैं। यह कुछ कदम हैं जो हमने उठाए हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा यद्यपि यह कदम उठाए हैं परन्तु अभी भी जो बैंको का रिसपौंस है या रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का रिस्पौंस है वह इतना खुलकर नहीं है जितना कि वह होना चाहिए। उनकी भी शायद अपनी मज़बूरी होगी। जब सारा देश ही इससे प्रभावित है तो हिमाचल प्रदेश भी निश्चित रूप से प्रभावित होगा। मगर इस स्थिति के अंदर हम कैसे और किस हद तक लोगों की मदद कर सकते हैं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लग सकता है परन्तु जब यह नोटबंदी का कदम उठाया गया था

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

21.12.2016/1440/SLS-AG-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हम काले धन के हक में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि काला धन समाप्त हो। कोई भी जो भारत का सच्चा नागरिक है वह इसी बात को चाहेगा। मगर

यह कदम बड़े सोच-समझ कर और हर चीज को ध्यान में रखकर उठाया जाना चाहिए था। यह जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। मैं जानता हूं कि दिल्ली के अंदर जो रूलिंग पार्टी के लोग ऊंचे पदों पर हैं, उनको भी इस बात के बारे में मालूम नहीं था कि यह क्या है। इसलिए यह कदम जल्दबाजी में उठाया गया है और जो स्थिति बिगड़ी है वह अभी तक भी पूरी तरह से काबू में नहीं आई है। आज भी वह कठिनाइयां खत्म नहीं हुई हैं। आज भी शहरों में लोगों की लंबी-लंबी कतारें बैंकों या ए.टी.एम. के सामने लगी हैं जो पैसा प्राप्त करना चाहते हैं। एक बात और है। इस निर्णय के बाद ए.टी.एम. लंबे अर्से से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो नए नोट छापे गए हैं वह ऐसे हैं जो ए.टी.एम. के अंदर फिट नहीं होते हैं। अन्यथा यह ध्यान दिया जाता कि जो नए नोट छपने हैं, जो लाखों-लाखों ए.टी.एम. लगे हैं उनमें वह डाले जा सकें जहां से लोग उन्हें निकाल सकें। इसलिए यह एक जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। मैं तो समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार जल्दी ही इस स्थिति पर काबू पाएगी और जो यह पैसे का तोड़ हो गया है, नगदी की कमी हो गई है, इसको दूर करेंगे।

मैं अपनी बात कहता हूं। अभी हाल ही में मैं दिल्ली गया था। मैंने एक जगह पर दुकान में जाकर शॉपिंग की जिसका कोई 17-18 हजार रुपये का बिल था। जब मैं वहां उनकी कैश ब्रांच में पैसा जमा करने के लिए गया तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसने कहा कि मैं यह पैसा अपने कार्ड से दे दूंगा, आप नगदी मुझे दे दीजिए। फिर उसने मेरे बिल की अदायगी अपने कार्ड से की और मैंने वह नगदी उसको दे दी। लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है। यह कोई मज़ाक की बात नहीं है। जो हमारी केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी के लोग हैं वह समझते हैं कि शायद यह उनके जन्म के बाद सबसे ज्यादा खुशी का दिन है जब यह कदम उठाया गया।

21.12.2016/1440/SLS-AG-2

उनको चाहिए कि वह हर साल अपने जन्म दिन को भी मनाएं और जो यह डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इस दिन को भी मनाएं।

अध्यक्ष महोदय, यह कोई राजनीतिक इसु नहीं है। Nobody is against it. हम सब चाहते हैं कि काला धन खत्म हो। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसे कदम बिना सोचे-समझे बिना तैयारी के उठाए जाएं। इससे सारे देश के अंदर हल-चल मची हुई है। भारत कोई छोटा मुल्ख नहीं है। हमारी आबादी कितनी अधिक है? आज सारा देश केवल शहरों में ही नहीं बसता बल्कि गांवों में और दूर-दराज़ के इलाकों में बसता है। उनको क्या-क्या कठिनाई होगी, नॉर्थ-साऊथ ब्लॉक्स में बैठकर इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे देश के अंदर एक फाइनैंशियल एमरजैंसी की सी स्थिति पैदा हो गई है। मैं यह कोई आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता। हम चाहते हैं कि आपने जो कदम उठाया है, बेशक जल्दबाजी में उठाया है, बेशक वह बिना पूरी तैयारी के उठाया है, वाही-वाही लूटने की होड़ में उठाया है, पर कृपा करके इसका समाधान भी शीघ्र करिए ताकि लोगों को और ज्यादा तकलीफ़ न सहनी पड़े और हमारे लोगों का जनजीवन फिर से सामान्य हो जाए। हम यही चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करते हुए यह प्रार्थना करूंगा कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया जाए।

अध्यक्ष महोदय .. गर्ग जी द्वारा

21/12/2016/1445/RG/AS/1

मुख्य मंत्री के पश्चात

अध्यक्ष : अब एक प्रस्ताव नियम 130 के अन्तर्गत और है, लेकिन जिनका यह प्रस्ताव है वह सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं इसलिए उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती।
अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश विधान सभा का एक बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह सदन अपनी परम्पराओं के लिए जाना जाता है और बहुत अहम् फैसले इस सदन में हुए हैं, बहुत गंभीर चर्चाएं इस सदन में हुई हैं और पूरे देश में हिमाचल प्रदेश विधान सभा अपनी उच्च परम्पराओं के लिए जानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ अर्से से जिस ढंग से सदन की कार्यवाही चल रही है और उसको बाधित करने के प्रयास हो रहे हैं, वह ठीक नहीं है। जब विपक्ष सत्ता पक्ष पर अंगुली उठाए, तो समझ आता है और हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है और हर तरह का जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन जब मसला अध्यक्ष के आसन का आ जाए, अध्यक्ष पद की गरिमा पर आंच आ जाए, तो यहां स्वाभाविक तौर पर इस पर चर्चा करना जरूरी है। जिस पीठ पर आज आप बैठे हैं, यह एक बहुत ही पवित्र पीठ है। इस पर महान विभूतियां बैठती रही हैं बिट्ठलभाई पटेली जैसी शख्सित इस पर सुशोभित हुई हैं और इस पीठ को हल्के में लेना सदन के किसी भी सदस्य के गले नहीं उतर रहा है। आज जो घटित हुआ, वह हिमाचल प्रदेश विधान सभा के इतिहास में शायद कभी भी घटित नहीं हुआ और न ही शायद भविष्य में कोई ऐसा करने का साहस करेगा। बल्कि मुझे तो लगता है कि न ही ऐसा कभी लोक सभा में हुआ होगा और न ही देश की किसी भी विधान सभा में ऐसा हुआ होगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को स्थगित किया और उसके बाद पक्ष एवं विपक्ष से आप डायलॉग कर रहे थे, आप चर्चा कर रहे थे। हमें आपकी मन्शा मालूम है कि आप हमेशा से सदन का संचालन करना चाहते हैं और सदन को चलाना चाहते हैं और शायद यही वजह रही कि सदन का सत्र शुरू होने से पहले आप विपक्ष के नेता को व्यक्गित तौर पर मिलकर भी आए। आपने हमसे भी यही आग्रह किया कि किसी भी कीमत पर हमें सदन को चलाना है और जब आप चर्चा कर रहे थे और आप बातचीत कर रहे थे कि किसी ढंग से सदन आगे चले। उस समय एक घटना घटित हो जाती है और अध्यक्षपीठ पर आकर कोई सदस्य बैठकर कोई फैसला

सुनाकर चला जाए कि इस सदन को आज पूरे दिन के लिए स्थगित किया जाता है। पहले तो आपकी इजाजत के बगैर इस पीठ पर कोई सुशोभित ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर

आप बाहर थे और उपाध्यक्ष महोदय सदन में विराजमान थे। उसके बाद उपाध्यक्ष महोदय आपकी चेयर पर सुशोभित हो सकते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ने पर श्रीमती आशा कुमारी जी सदन में मौजूद हैं,

एम.एस. द्वारा जारी

21/12/2016/1450/MS/AG/1

संसदीय कार्य मंत्री जारी-----

श्री कुलदीप कुमार जी पीठासीन अधिकारी हैं। ये सब लोग सदन में मौजूद हैं लेकिन आपकी अनुमति के बिना कोई भी इस पीठ पर सुशोभित नहीं हो सकता है। परन्तु आज ऐसा हुआ जिससे सारा सदन आहत है। सबको दु:ख पहुंचा है कि जिस सदन में आने के लिए इतना संघर्ष और कड़ा परिश्रम किया जाता है, वहां पर ऐसा आचरण अगर होने लग पड़े तो कल दिन को तो माननीय मुख्य मंत्री जी अपने चैम्बर में बैठे हुए नहीं होंगे तो कोई इनकी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा। मंत्री लोग अपने चैम्बर में नहीं होंगे तो उनकी कुर्सी पर कोई बैठ जाएगा। चीफ सैक्रेटरी नहीं होंगे तो अतिरिक्त मुख्य सचिव चीफ सैक्रेटरी बनकर बैठ जाएंगे। डी0जी0पी नहीं होंगे तो एडिशनल डी0जी0पी0 जाकर कहेंगे कि मैं डी0जी0पी0 हूं। इस तरह से पूरी व्यवस्था में गिरावट हुई है और वह आज सामने आई है।

हमने पहले भी देखा है कि कुछ लोग माननीय मुख्य मंत्री जी के समक्ष आते थे। हमने उस समय भी कहा कि आपको अपनी बात रखने की आजादी है, आप अपनी बात रखिए। आप अगर वैल ऑफ दि हाऊस में भी आते हैं तो यहां पर भी आगे जाने के लिए एक सीमा है। लेकिन बिल्कुल आसन पर चढ़ जाना, बेखौफ हो जाना कि हम स्पीकर के सिर के ऊपर जाकर नारे लगा सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं शायद यह आजादी हमें विधायक के नाते नहीं मिली है। आज जो नोटबन्दी पर चर्चा हुई, उस बारे में सत्ता पक्ष तो पहले ही कह रहा था कि आप लोग इस पर कल चर्चा चाहते हैं, हम आज चर्चा के लिए तैयार हैं। आप चर्चा करें। लेकिन ये जो भी हुआ यह सदन की परम्पराओं का अपमान है। सदन का अपमान है। अध्यक्ष का अपमान है। अध्यक्ष तो क्या विधान सभा की परम्पराओं के मुताबिक अगर सचिव, विधान सभा का भी कोई अपमान करता है तो वह स्पीकर का

अपमान माना जाता है। ये ऐसी वैल्यूज हैं। लेकिन आज सारी हदें टूटी हैं और जो नारेबाजी हुई है उसका स्तर बहुत ही निम्न रहा है। नारे भी कुछ डायलॉग या कुछ संकेत देते हैं लेकिन जो नारे आज लगे हैं और स्पीकर को एड्रैस करके यह कहना कि "जो हमसे टकराएगा कुर्सी से भी जाएगा", यह बहुत ही खेदजनक व्यवहार आज हुआ है। राजनीति नम्बर गेम से चलती है। अगर वीरभद्र सिंह जी आज मुख्य मंत्री हैं तो इसलिए नहीं हैं कि वे एक राजा थे या राजा

21/12/2016/1450/MS/AG/2

हैं। वे लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायकों की मैजोरिटी के कारण इस गद्दी पर आसीन हैं। आज की राजनीति में जो नम्बर गेम है उसके चलते आज ये प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं। अध्यक्ष जी, आज ये माहौल पूरी तरह से राजनैतिक अराजकता का बना है और सदस्यों के आचरण ने आज निश्चित तौर पर आपको भी आहत किया है और सदस्य स्वयं भी आहत होंगे। जिन सदस्यों ने यह किया है शायद उनके मन में भी यह बात आ रही होगी कि हिमाचल विधान सभा के मूल्यों का किस तरह से उन्होंने अपमान किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आहत होकर अध्यक्ष जी आपसे दण्डात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है और उसी कड़ी में विधान सभा के नियम 319 के तहत यह स्पष्ट है कि जो भी अध्यक्षपीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करेगा या हठपूर्वक या जान-बूझकर सभा के कार्य में बाधा डालेगा तो नियम 319 (2) के अनुसार उस मामले में कार्रवाई का सीधा-सीधा प्रावधान है।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा----

21.12.2016/1455/**एएस/जेके**/1

संसदीय कार्य मंत्री:---**जारी**----

नियम-319 के तहत अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्य ने आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को जब सदन एडजर्नमैंट के बाद

रिअसैम्बल हो रहा था और माननीय अध्यक्ष महोदय अपने कक्ष से सदन में अपने आसन के पास पहुंचने वाले थे, तभी माननीय सदस्य, श्री सुरेश भारद्वाज ने अध्यक्ष के आसन पर बैठने का घोर अपराध किया है और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि This House is adjourned for the day. यह कह कर वे आसन से नीचे उतर गए और सारा विपक्ष नारेबाजी करते हुए बाहर चला गया। श्री सुरेश भारद्वाज जो कि सम्माननीय सांसद भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक भी हैं और भाजपा के राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने ऐसा कृत्य करके जानबूझ कर सदन की अवमानना की है। यह सदन के एक्चुअल व्यू में घटना घटित हुई है। इनके इस कृत्य से सदन की घोर अवमानना हुई है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2016 को तथा आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को अध्यक्ष के आसन के पास जा कर जो नारेबाजी की तथा डॉ0 राजीव बिन्दल, माननीय सदस्य ने आपके दूसरी तरफ आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को प्रश्नकाल के दौरान अध्यक्ष के आसन के पास जा कर जो नारेबाजी की है और सदन के नेता के विरुद्ध आधारहीन एवं अशोभनीय नारेबाजी की तथा साथ ही आपके आसन को भी चुनौती दी, यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है और इस माननीय सदन की परम्पराओं तथा नियमों के प्रतिकूल है। उक्त तीनों सदस्य सर्वश्री सुरेश भारद्वाज,रणधीर शर्मा तथा डॉ0 राजीव बिन्दल ने सदन की गरिमा को तथा उच्च परम्पराओं के अतिरिक्त उनका व्यवहार नियमों के पूरी तरह प्रतिकूल पाया गया है। उनके इस आचरण की हम निन्दा भी करते हैं और जो सदन की अवमानना हुई है, अध्यक्षपीठ का अपमान हुआ है, उसके चलते हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-319 के अनुसरण में मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा और डॉ0 राजीव बिन्दल को सदन तथा अध्यक्षपीठ की घोर अवमानना तथा सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।

21.12.2016/1455/**एएस/जेके**/2

अध्यक्ष: तो प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा तथा डॉ0 राजीव बिन्दल को सदन तथा अध्यक्षपीठ की घोर अवमानना के

लिए तथा सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, रणधीर शर्मा तथा डॉ0 राजीव बिन्दल को सदन तथा अध्यक्षपीठ की घोर अवमानना के लिए तथा सभा की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने के लिए सत्र की शेष अवधि तक सभा की सेवा से निलंबित किया गया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, 22 दिसम्बर, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 21 दिसम्बर, 2016 **सचिव ।**